

वार्षिक लेखा 2017 – 2018



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030

विषय सूची


क्र.सं	लेखों का नाम	पृष्ठ संख्या	
		से	तक
1.	एनआईआरडी एवं पीआर लेखा	1	22
2.	हितकारी निधि लेखा	23	25
3.	भविष्य निधि लेखा	26	28
4.	एनआईआरडी एवं पीआर चिकित्सा संचित निधि लेखा	29	31
5.	लेखाकरण नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	32	35
6.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	36	39
7	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के उत्तर	40	43

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य लेखे की प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2017-18 रु.	पिछले वर्ष 2016-17 रु.	भुगतान	चालू वर्ष 2017-18 रु.	पिछले वर्ष 2016-17 रु.
प्रारंभिक बैंक / नकद शेष	2694763580	1605756666	अनु.1 पूंजी लेखा पूँजी अनुदान	126284829	38368031
अनु.2 आरक्षितताएं एवं अधिशेष			अनु.2 आरक्षितताएं एवं अधिशेष		
अनु.3 चिन्हित निधि			अनु.3 चिन्हित निधि		
भवन निधि	9217458	36084914	भवन निधि	620	32691856
संचित निधि	169182435	1669159221	संचित निधि	738	864403349
विकास निधि	1068141	49082143	विकास निधि	47569	56634635
परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	2356790560	3785268662	परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	1759576567	3326712861
प्राप्त अनुदान	500000000	5883000000			
			पूँजीगत अनुदान - योजना		1748880
अनु.4 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			अनु.4 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान		
परामर्शी परियोजनाएं - एनईआरसी	27466177	36523293	परामर्शी परियोजनाएं - एनआईआरडी	13040	28892026
परामर्शी देयताएं	1115524	0	परामर्शी परियोजनाएं - एनईआरसी	27496822	0
देयताएं एवं प्रावधान	66123543	0	परामर्शी देयताएं	2936823	0
पारगमन लेखा	84222510	94827792	देयताएं एवं प्रावधान	121739302	0
अंतरण लेखा	490109331	1450306631	पारगमन लेखा	84041943	93902830
परामर्शी - ब्याज	2486012	1206954	अंतरण लेखा	379479048	1508255441
अनु.5 अचल आस्तियां			परामर्शी - ब्याज	1207189	1206954
पी0014 पी-भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	8132	0	अनु.5 अचल आस्तियां		
पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती	420465	0	पी0014 पी-भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	10463279	0
पी0021 पुस्तकालय अनावर्ती	1690	0	पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती	0	24318174
			पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती - एनईआरसी	576757	4715816
			पी0021 पुस्तकालय अनावर्ती	426868	273365
			पी0021 पी-पुस्तकालय अनावर्ती - एनईआरसी	83682	108153
			पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती	12402586	0
			आस्टीपी आस्तियां	2941158	919333
			कार्य प्रगति पर - भवन	5516040	0
			वाहन	11441739	0

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2017-18 रु.	पिछले वर्ष 2016-17 रु.	भुगतान	चालू वर्ष 2017-18 रु.	पिछले वर्ष 2016-17 रु.
अनु.6 निवेश			अनु.6 निवेश		
सावधि जमाओं में निवेश सामान्य	0	1066827871	सावधि जमाओं में निवेश सामान्य	729754192	576917674
निवेश - चिह्नित निधि से	343625691	0	सावधि जमाओं में निवेश परामर्शी	0	9000000
अनु.7 वर्तमान आस्तियां			अनु.7 वर्तमान आस्तियां		
जमा (आस्तियां)	0	9629375	जमा (आस्तियां)	10833333	8256661
ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	1010449	1811391	ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	554169	2467839
परामर्शी आस्तियां	0	443298	परामर्शी आस्तियां	11400	161600
वर्तमान आस्तियां एवं अग्रिम	9284617	60490151	वर्तमान आस्तियां एवं अग्रिम	11736088	9780256
सामान्य लेखा एवं परियोजना पारगमन लेखा	1568148796	134463856	सामान्य लेखा एवं परियोजना पारगमन लेखा	1564822092	889835030
प्रत्यक्ष व्यय			प्रत्यक्ष व्यय		
स्थापना व्यय			स्थापना व्यय		
वेतन - शैक्षिक	34075	0	वेतन - शैक्षिक	85685997	73433323
वेतन - गैर शैक्षिक	417128	0	वेतन - गैर शैक्षिक	189347404	148932442
स्वास्थ्य केन्द्र आवर्ती	274052	0	स्वास्थ्य केन्द्र आवर्ती	9591093	8128866
स्वास्थ्य क्लब	166675	0	स्वास्थ्य क्लब	1120287	490812
अवकाश वेतन और पेशन योगदान	1092155	0	अवकाश वेतन और पेशन योगदान	648334	2483017
अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	916962	0	भ.निधि के लिए संस्थान का योगदान	3795683	3795976
अन्य प्रशासनिक व्यय			अन्य प्रशासनिक व्यय		
यात्रा भत्ता	1483628	0	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	117668927	104483960
अन्य प्रभार - आवर्ती	3703538	0	अन्य प्रशासनिक व्यय		
बीबीबीवी / शिशु सदन आदि के लिए अनुदान	2136823	0	यात्रा भत्ता	9178551	6215729
			अन्य प्रभार - आवर्ती	104128287	78124715
			बीबीबीबी / शिशु सदन आदि के लिए अनुदान	184308	1991655
			बैंक प्रभार	51784	8035
क्रियाकलाप			क्रियाकलाप		
प्रशिक्षण कार्यक्रम	1003844	0	प्रशिक्षण कार्यक्रम	25462586	24456162
प्रकाशन	6651	0	प्रकाशन	5963597	6989783
कार्य अनुसंधान	126490	0	कार्य अनुसंधान	1410945	4827797
संकाय विकास	140201	0	संकाय विकास	2044128	2578688
संपर्क	1224629	0	संपर्क	14050843	17556725
ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क	1953180	0	ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क	20888743	17981828
अनुसंधान	2730624	0	अनुसंधान	25075160	19194451
			पुस्तकालय आवर्ती	4091748	6414117

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2017-18 रु.	पिछले वर्ष 2016-17 रु.	भुगतान	चालू वर्ष 2017-18 रु.	पिछले वर्ष 2016-17 रु.
सेमिनार एवं सम्मेलन	726592	0	सेमिनार एवं सम्मेलन	9341751	6437570
पीजीडीआरडीएम	88973	0	पीजीडीआरडीएम	17635917	18047235
डीईसी कार्यक्रम	88425	0	डीईसी कार्यक्रम	0	4789141
			पीजीडीएसआरडी - क्षे.का	3343432	38377
			प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	1120344
			अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	33358892
			स्थल कार्यक्रम	0	741226
अप्रत्यक्ष आय					
पत्रिकाओं के लिए अंशदान	255983	255590	पत्रिकाओं के लिए अंशदान	6840	0
एनआईआरडी के प्रकाशनों की विक्री	22075	66992			
डीईसी कार्यक्रमों से शुल्क	4654259	3338579	डीईसी कार्यक्रमों से शुल्क	16900	4128910
पीजीडीआरडीएम से शुल्क	22467604	20354669	पीजीडीआरडीएम से शुल्क	184000	20353669
वाहनों की किराय	562032	595308			
संस्थागत/सम्मेलन कक्ष प्रभार /संकाय लागत/अन्य	178239769	50088770	संस्थागत/सम्मेलन कक्ष प्रभार /संकाय लागत/अन्य	42464	0
ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज	690861	1230566			
बचत बैंक खाते से ब्याज	19629740	13666695	बचत बैंक खाते से ब्याज	372844	0
एन0009 - जमा पर ब्याज - बिजली विभाग	198375	219018			
लघु एवं दीर्घावधिक जमाओं पर ब्याज	4504813	86983628			
लाइसेन्स शुल्क	4178428	2963194	लाइसेन्स शुल्क	490	0
विविध प्राप्तियाँ	25276503	20558433	विविध प्राप्तियाँ	3653289	0
स्थल कार्यक्रम	2302003	934029	स्थल कार्यक्रम	647326	0
			अंतः बैंक / नकद शेष	1835420446	2694763579
कुल	8606342201	10791437688	कुल	8606342201	10791437688


(चंदन पंडित)
वित्तीय सलाहकार

वृ. रामपुल्लारा रेड्डी!
(डब्ल्यू आर रेड्डी)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र

विवरण	अनु. संदर्भ	31- मार्च - 18 रु.	31- मार्च - 17 रु.
पूंजी एवं देयताएँ			
I पूंजी निधि	अनु.1	557390551	487816054
आरक्षित एवं अधिशेष	अनु.2	0	0
निर्धारित निधियाँ	अनु.3	4730442383	3936271523
चालू देयताएं एवं प्रावधान	अनु.4	527118974	466505121
कुल योग		5814951908	4890592698
II आस्तियाँ			
अचल आस्तियाँ	अनु.5	187420083	194625003
सी पी जी एस आस्तियाँ	अनु.5	10132	199861
निवेश	अनु.6	3599539341	1890110392
चालू आस्तियाँ	अनु.7	2027982353	2805657443
कुल योग		5814951908	4890592698

चंदा


(चंदा पंडित)
वित्तीय सलाहकार


वु. रामपुल्लु रेड्डी!

(डब्ल्यू आर रेड्डी)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

	अनु.	31- मार्च - 18 रु.	31 - मार्च - 17 रु.
आय			
I अनुदान	8	483637797	501159043
II अन्य आय			
बिक्री /सेवाओं से आय	9	6484763	3818524
शुल्क / अंशदान	10	32502184	24958899
निवेशों से आय	11	33410195	61665077
अर्जित ब्याज	12	921639	1419061
अन्य आय	13	235717954	68651949
	कुल	309036735	160513510
	कुल योग	792674532	661672553
III व्यय			
स्थापना व्यय	14	420599113	336415513
अन्य प्रशासनिक व्यय	15	97710821	87267527
क्रियाकलाप	16	121428927	130246191
	कुल	639738861	553929231
IV मूल्यहास	5	51171057	43214760
V स्टाक में वृद्धि / (घटाव)	17	1582216	145251
VI व्यय पर आय की अधिकता	18	100182398	64383311
	कुल योग	792674532	661672553
जोडे : पूर्व अवधि मद		61901518	3532038
घटाए : पूर्व अवधि मद		0	15071
पूर्व अवधि समायोजन के पश्चात् तुलन पत्र पर लाया गया निवल आय		162083917	67900278


(चंदा पंडित)
वित्तीय सलाहकार


(डब्ल्यू आर रेड्डी)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनु.	विवरण	संदर्भ सं.	जोडे	उपयोग	अंतः शेष	31-मार्च-2018	31-मार्च-2017
अनु.1	संचित / पूंजी निधि						
	पूंजी निधि - सामान्य					538605546	472201658
	पूंजी निधि - आर टी पी					18785005	15614397
	वर्ष के अंत में शेष					557390551	487816054
अनु.2	आरक्षित एवं अधिशेष						
	पूंजी आरक्षित - (सहायता अनुदान)						
	भारत सरकार से प्राप्त उपहार						
	कुल					-	-
अनु.3	चिन्हित निधियाँ						
			आरंभिक शेष	उपयोग	अंतः शेष		
	i. पूंजीगत अनुदान - योजना		603749774	17348787	610225454	603749774	603749774
	ii. भवन निधि		225745768	6095130	245706912	225745768	225745768
	iii. संचित निधि		1724683117	0	1953358774	1724683117	1724683117
	iv. विकास निधि		76705634	172944	83933066	76705634	76705634
	v. परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	एल 3	1305187370	1952188170	1837208047	1305187370	1305187370
	vi. सीपीजीएस आस्तियाँ		199861	189729	10132	199861	199861
	कुल		3936271523	1975994759	4730442383	4730442383	3936271523

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

	समूह संदर्भ	31-मार्च-2018 रु.	31-मार्च-2017 रु.
अनु.4 चालू देयताएँ और प्रावधान			
परामर्शी परियोजना	एल 4	452255734	41100780
परामर्शी देयताएँ	एल 5	2807887	2139365
देयताएँ और प्रावधान	एल 6	351727662	414914979
पारगमन लेखा	एल 7	1363231	5,524,185.00
अंतरण लेखा	एल 8	124969014	1800366
अंतरण लेखा (परामर्शी)	एल 8	1025446	1025446
कुल		527118974	466505121
अनु.6 सावधि जमाओं में निवेश - परामर्शी		9000000	9000000
सावधि जमाओं में निवेश - सामान्य	ए 6	1307287866	577533674
सावधि जमाओं में निवेश - चिन्हित निधि से	ए 6	2283251475	1303576718
कुल		3599539341	1890110392
अनु.7 चालू आस्तियां और अग्रिम			
सामान्य लेखा और परियोजना पारगमन लेखा	ए 4	124381162	79258751
ऋण और अग्रिम - कर्मचारी	ए 4	2321001	1196371
जमा (परिसंपत्ति)	ए 4	3267250	4429284
जमा (परिसंपत्ति)	ए 5	18998703	8542420
पारगमन लेखा	ए 7	18616	1899019
परामर्शी परिसंपत्ति	ए 8	7957371	2566334
अंतः शेष सामान्य लेखा	ए 9	1803319370	2662064322
अंतः शेष परामर्शी लेखा	ए 10	32101076	32699257
अंतरण लेखा	ए 11	35617804	13001685
कुल		2027982353	2805657443

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां
अनुसूचियां 5: अचल आस्तियां

क्र. सं.	विवरण	मूल्यहास दर	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				निवल ब्लॉक	
			वर्ष के प्रारंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के लिए	कुल	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	भूमि	0%	7214857	0	7214857	0	0	0	7214857	7214857	7214857	
2	भूमि पर विकास	0%	598266	0	598266	0	0	0	598266	598266	598266	
3	भवन	10%	243722415	0	243722415	203744317	11655937	215400254	28322161	39978098	39978098	
4	फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%	36701936	5058460	41760396	29369588	1855777	31225365	10535031	7332348	7332348	
5	कार्यालय उपकरण	15%	56400709	654334	57055043	50606229	2254876	52861105	4193938	5794480	5794480	
6	कम्प्यूटर	40%	100404447	5151683	105556130	97965280	3982006	101947286	3608844	2439167	2439167	
7	वाहन	15%	14873237	11832747	26705984	14873236	1464186	16337422	10368562	1	1	
8	कटलरी, क्राफ्टरी एवं भोजन कक्ष उपकरण		2776330	0	2776330	2776329		2776329	1	1	1	
9	दुरीय श्रव्य उपकरण	15%	62488354	555549	63043903	32121574	6906460	39028034	24015869	30366780	30366780	
10	संयंत्र एवं मशीनरी	15%	10290060	486872	10776932	4169647	1606336	5775983	5000949	6120413	6120413	
11	स्वास्थ्य क्लब	15%	1535334	0	1535334	791192	179611	970803	564531	744142	744142	
12	पुस्तकालय पुस्तकें	40%	26677473	624257	27301730	26499770	252233	26752003	549727	177703	177703	
13	आरटीपी आस्तियां		58692724	3170609	61863333	55567343	1342315	56909657	4953676	3125382	3125382	
14	एनईआरसी आस्तियां		13652515	660439	14312954	7097204	2235242	9332446	4980508	6555311	6555311	
15	भवन निधि											
	भवन	10%	197716291	10255147	207971438	119358846	14818717	134177563	73793875	78357445	78357445	
	संयंत्र एवं मशीनरी	15%	17449073	17449073	17449073	13377344	2617361	15994705	1454368	4071729	4071729	
	कुल		851194021	38450097	889644118	658317898	51171057	709488955	180155163	192876123	192876123	
16	सी-गार्ड आस्तियां		37910355		37910355	37910354	0	37910354	1	1	1	
17	सीपीबीएस आस्तियां	15%	2314805		2314805	2114944	189729	2304673	10132	199861	199861	
	योजना पूंजी कार्य प्रगति पर		1748880	5516040	7264920	0	0	0	7264920	1748880	1748880	
	आरटीपी कार्य प्रगति पर		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	कुल योग		893168061	43966137	937134198	698343196	51360786	749703982	187430215	194625003	194625003	

नोट : भूमि पर विवरण के लिए कृपया लेखों पर टिप्पणी देखें

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
आय एवं व्यय लेखे के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

समूह संदर्भ	31-मार्च-2018 रु.	31-मार्च-2017 रु.
अनु. 8 अनुदान /उपदान		
वेतन	400000000	179713532
सामान्य	83637797	321445511
कुल	483637797	501159043
अनु. 9 बिक्री / सेवाओं से आय		
एनआईआरडी प्रकाशनों की बिक्री	71579	66992
लाईसेन्स शुल्क	4196475	2963421
वाहनों का किराया	562032	595308
स्थल कार्यक्रम	1654677	192803
कुल	6484763	3818524
अनु. 10 शुल्क / अंशदान		
पत्र पत्रिकाओं का अंशदान	249143	255590
पीजीडीआरडीएम से शुल्क	27615682	20353669
डीईसी कार्यक्रमों से शुल्क	4637359	4349640
कुल	32502184	24958899
अनु. 11 निवेशों से आय		
लघु एवं दीर्घावधि जमा पर ब्याज	33410195	61538006
एसबी खाते पर ब्याज	0	127071
कुल	33410195	61665077
अनु. 12 अर्जित ब्याज		
ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज	921639	1419061
कुल	921639	1419061
अनु. 13 अन्य आय		
विविध प्राप्तियाँ	31176801	18563179
संस्थागत/सम्मेलन कक्ष प्रभार /संकाय लागत /अन्य	204541153	50088770
कुल	235717954	68651949
अनु. 14 स्थापना व्यय		
वेतन - शैक्षिक	87675398	72213532
वेतन - गैर शैक्षिक	190769649	148839678
अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	124859155	101251300
उप- कुल	403304202	322304510
स्वास्थ्य केन्द्र आवर्तन	10411584	7427071
स्वास्थ्य क्लब	967386	605773
अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	1000010	2483017
भविष्य निधि के लिए संस्थान का योगदान	4915931	3595142
कुल	420599113	336415513

समूह संदर्भ	31-मार्च-2018 रु.	31-मार्च-2017 रु.
अनु. 15 अन्य प्रशासनिक व्यय		
यात्रा भत्ता	7948152	6010907
अन्य प्रभार - आवर्ती	89583361	79259965
बी वी बी वी/शिशुसदन आदि को अनुदान	179308	1996655
कुल	97710821	87267527
अनु. 16 क्रियाकलाप		
प्रशिक्षण कार्यक्रम	25768848	23269885
प्रकाशन	6307122	5932449
कार्य अनुसंधान	1301530	4643270
संकाय विकास	1988431	2586617
संपर्क कार्यक्रम	12253280	17737389
आर टी पी	18649123	20055032
अनुसंधान	20914299	20383728
पुस्तकालय आवर्ती	4793010	4611857
सेमिनार एवं सम्मेलन	9313818	6492906
पीजीडीआरडीएम	16911604	19684709
डीईसी कार्यक्रम	3227863	4848349
कुल	121428927	130246191
अनु. 17 स्टाक में वृद्धि / (घटाव)		
अंतः स्टॉक	7322748	8904964
प्रारंभिक स्टॉक	8904964	9050215
निवल वृद्धि / (घटाव)	1582216	145251
अनु. 5 मूल्यहास		
पूँजीगत आस्तियों पर मूल्यहास	51171057	43214760
कुल	51171057	43214760
अनु. 17 आईजीआर और अनुदान की कमी का पुर्नभुगतान		
कुल आईजीआर (अनु.9,10,11,12 एवं 13)	309036735	
घटाव :		
7वें केन्द्रीय वेतन आयोग प्रभाव के 30% के प्रति व्यय	15900600	
शेष आई जी आर	293136135	
आईजीआर से पुनः प्राप्त अनुदान की कमी	192953736	
निवल आईजीआर	100182398	

31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्रम संख्या	समूह विवरण	31 मार्च, 2018 रु.	31 मार्च, 2017 रु.
अनुसूची	(एल 3) परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान		
	सीगार्ड परियोजनाएं		
1	सी 1713 जीआईएस जीपीएस एवं कुल स्टेशन सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी	194000	0
2	सी 1721 स्थानीय प्रौद्योगिकी द्वारा मूल्यांकन और परिवर्तन का पता लगाना	225000	0
3	पी 0044 एपीआईबी परियोजना (जीसी)	451163	640709
4	एस 1611 डीएससीडब्ल्यूडी भुवनेश्वर प्रशिक्षण कार्यक्रम	66148	217069
5	एस 1612 मडगास्कर में सी-गार्ड केन्द्र की स्थापना	7731714	11449646
6	एस 1614 पीसीडी भुवनेश्वर, ओडीशा सरकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम	(156107)	762084
7	एस 1701 पीएमजीएसवाई पर एसटीपी - एनआरआरडीए	3107371	0
8	एस 1713 भू आईसीटी तकनोलॉजी आधारित उचित विकास पहल	153412	0
9	एस 1720 सीसी सडकें गुणवत्ता पर थर्ड पार्टी मूल्यांकन	5200000	0
10	एस 1721 तेहरी गरवाल के लिए एपीआईबी परियोजना, उत्तराखंड	10000000	0
11	एस 1722 आ.प्रदेश में स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी सामान्य और तुलन (एसएसीआईएसआरओ)	500000	0
12	एस 2060 एस-एकीकृत भूमि एवं जल संसाधन संरक्षण	211	203
13	एस 2067 जलागम हेतु अनुश्रवण एवं प्रभाव मूल्यांकन (जी सी)	4127564	3968812
14	एस 2068 ग्रामीण विकास के लिए एस डी एस एस (जी सी)	(43867)	(42180)
15	एस 2069 सी गार्ड एन आई आर डी (जी सी)	3339	3211
16	एस 2105 रालेगाँव सिद्धी में सी-गार्ड	386	371
17	एस 2106 सीडैप - कृषि विभाग	51810	49817
18	एस 2138 4 जी आई एस केन्द्रों का गठन (सी-गार्ड)	1808172	1738627
19	एस 2179 राज्य स्तर कार्यशाला - एस ए पी देहरादून	10402	10002
20	एस 2184 जी आई एस - जलागम एम एवं ई	(1372087)	(1319314)
21	एस 2191 डाका में सिडैप आई सी टी की स्थापना	4365358	10485330
22	एस 2345 सीगार्ड परियोजना प्रबंध प्रभार	526384	506138
23	एस 2391-ग्रामीण भारत के ऊर्जा संतुलन का अध्ययन -इसरो	728960	700923
24	एस2431केरल के लिए जीआईएस प्लैटफार्म पर ग्रामीण सडक	(189265)	(181986)
25	एस 2537-एपीआईबी-उत्तराखंड (उन्नयन)	(66038)	752424
26	एस 2554 पीएमकेएसवाई पर कार्यशाला (सी-गार्ड)	2173423	2948621
27	एस 2557-ईडीपीआर एवं पीएमकेएसवाई की जियोहार्डिग्राफि	290420	1212404
28	एस 2560 बिज्जू के वी के परियोजना, ओडिशा सरकार	180232	380182
29	एस 2567-पीएमकेएसवाई पर 2 दिवसीय कार्यशाला (सी-गार्ड)	210144	202062
30	एस 2568-ग्रामीण सडको में स्पेस टैकनोलॉजी का अनुप्रयोग - सीगार्ड	(331824)	209478
31	एस 2571 ओडब्ल्यूडीएम ओडिशा द्वारा प्रायोजित पीएमकेएसवाई के तहत डीआईपी	963479	1360434
32	एस 2578 पीएमजीएसवाई प्रशिक्षण कार्यक्रम	131803	445252
33	एस 2581 मनरेगा में भू- कार्यान्वयन	54478745	53270627
34	एस 2583 इसरो द्वारा ईपीआरआईएस परियोजना	1909017	7058625

31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्रम संख्या	समूह विवरण	31 मार्च, 2018 रु.	31 मार्च, 2017 रु.
	डीडीयू जीकेवाई परियोजनाएं		
35	एस 2099 एसजीएसवाई बीपीएल युवा होशंगाबाद -एमपी-एआईएसईसीटी	50	0
36	एस 2233 एनआरओ -डीडीयूजीकेवाई	17679923	0
37	एस 2337 मंथन ग्रामीण एवं समाज सेवा समिति - भोपाल	(106346)	(106346)
38	एस 2363-कोर शिक्षा एवं टेकनोलॉजी लिमिटेड (एसजीएसवाई)	400000	400000
39	एस 2365 सुनील हाईटेक इंजीनियर्स लिमिटेड (एसजीएसवाई)	0	0
40	एस 2381-श्री शक्ति एसोसिएशन (एसजीएसवाई/एसडीपी)	9386290	0
41	एस 2441-राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (जेएच)	6983	0
42	एस 2451-अरोह फाऊंडेशन - रोशनी (जेएच)	(6102)	0
43	एस 2477-सेंटम वर्कस्किल इंडिया लिमिटेड -आकौ (हरियाणा)	0	0
44	एस 2496-आईसीए इनफोटेक प्रा. लिमिटेड (प.बं.)	23338254	0
45	एस 2546-आई आई एसडी(असम)	(710)	0
46	एस 2564-आई एल एवं एफ एस-4(हिमायत-2016)	697366	0
47	एस 2573-मेसर्स डॉनबास्को टेक-हिमायत (जम्मू-कश्मीर देखे)	(9250)	0
	सामान्य		
48	एस 1603 अत्यंत पीडित क्षेत्रों में जल संसाधनों का एमजीएमटी	(685171)	45204
49	सी 1601 सामरिक संचार के लिए यूनिसेफ संस्थागत तंत्र	121606	1039999
50	एस 2527-सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)	(1490228)	(347427)
51	सी 1602 प्रभाव मूल्यांकन पर अध्ययन, निरिडा नलगोंडा	(50426)	(48000)
52	सी 1603 ईपीएसआरसी	(90955)	106011
53	सी 1604-बहु क्षेत्रीय -युएन महिलाएं	(363597)	0
54	सी 1605 क्रक्स सीजीजीपीए जुलाई 16	538393	552274
55	सी 1701 एनएमडीसी आईवीडी के सीएसआर पहल	744603	0
56	सी 1702 कृषि अध्ययन केन्द्र का ईपीओ कक्ष	116237	0
57	सी 1703 शौचालय निर्माण का लेखापरीक्षा करते हुए सीएसआर थर्ड पार्टी	316413	0
58	सी 1704 सीएसआर क्रियाकलापों पर मूल्यांकन रिपोर्ट	180710	0
59	सी 1706 युनिसेफ स्वच्छता प्रशिक्षक	0	0
60	सी 1707 एपीओ सिडीप आर्डो	122114	0
61	सी 1708 कृषि उद्यमशीलता कार्यक्रम (बीआरएलपीएस)	367414	0
62	सी 1709 कृषि उद्यमशीलता आ.प्र - एसईआरपी	150552	0
63	सी 1710 महाराष्ट्र में एसएफएसी एफपीओं का प्रशिक्षण	61100	0
64	सी 1711 नीतिगत संचार आ.प्र, तेलंगाना, कर्नाटक युनिसेफ	1388482	0
65	सी 1712 कार्यशाला सामाजिक मानदंड जानकारी हब-यूनिसेफ	150000	0
66	सी 1714 एसएचजी - बैंक संयोजन कार्यक्रम नाबार्ड	214107	0
67	सी 1715 राष्ट्रीय स्वच्छता संसाधन केन्द्र	2231444	0

31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्रम संख्या	समूह विवरण	31 मार्च, 2018 रु.	31 मार्च, 2017 रु.
68	सी 1717 स्वैट शौचालया की उपयोगकर्ता इंटरफेस को पर्याप्त बनाने के लिए स्वैट परीक्षा	66504	0
69	सी 1719 पोषण मूल्यांकन को सुधारने के लिए कीस ओल्ड ब्लैक बाक्सस - विकास पद्धतियाँ	1384743	0
70	सी 1720 वैसेमो प्रशिक्षण समुदाय आधारित जल	279830	0
71	एस 0073 कार्य अनुसंधान परियोजना	69198	69198
72	एस 1601 पीएमएजीवाई का मूल्यांकन (डीएसजे एवं ई)	1005886	(455000)
73	एस 1602 आपरेशलनलाईजिंग इंडिया पंचायत आईपीकेपी	484857	1126470
74	एस 1604 जीपी और गांवों के लिए विकास सेवाओं पर आर एस	527620	0
75	एस 1605 उन्नत भारत पर सी एच आर डी प्रशिक्षण कार्यक्रम	4074129	785721
76	एस 1606 झारखंड में निर्वाचित महिला पीआरआई का सीबी प्रशिक्षण	5557951	10734229
77	एस 1607 उत्पादक परिसंपत्ति मनरेगा के सृजन पर अध्ययन	541523	539090
78	एस 1608 ई-समर्थन द्वारा पीआरआई के माध्यम से भारत का परिवर्तन	4538859	34515102
79	एस 1609 ईटीपी पर मनरेगा का समाजार्थिक प्रभाव	257133	253714
80	एस 1613 दूसरा क्षमता निर्माण और सहभागी प्रशिक्षण कार्यक्रम	(408660)	0
81	एस 1615 एकीकृत कार्य योजना, ओडिशा सरकार	148235	0
82	एस 1702 असम के नव पदोन्नत प्राप्त बीडीओ के लिए बेहतर पद्धतियाँ	70392	0
83	एस 1703 असम के निर्वाचित महिलाओं का क्षमता निर्माण	(223471)	0
84	एस 1704 आईआईटी दिल्ली	185007	0
85	एस 1705 आरटीपी परियोजनाएं	1633435	0
86	एस 1706 पीईएस अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यशाला (सापीआर)	(343779)	0
87	एस 1707 आरडी राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम-2 पर जेंडर बजटिंग	359015	0
88	एस 1708 आईपीआरपी एवं लेखापरीक्षकों (एनआरएलएम) के लिए एसटीपी	2150732	0
89	एस 1709 एनआरएलएम - सीजीएसआरएलएम	647983	0
90	एस 1710 गरीबी और असमानता एनएसएसटीए	228316	0
91	एस 1711 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सीबी एवं टी	12000000	0
92	एस 1712 एमकेएसपी परियोजना की मध्यावधिक मूल्यांकन	2646552	0
93	एस 1714 पीआर सांख्यिकी पर पर एचबी का प्रकाशन	3005000	0
94	एस 1716 सतत विकास के लिए जल संसाधन प्रबंधन	(951124)	0
95	एस 1718 वैज्ञानिक फिल्म तैयारी पर राष्ट्रीय कार्यशाला	34250	0
96	एस 1719 राष्ट्रीय कार्यशाला गठन जीपीडीपी	(411850)	0
97	एस 1726 सतत ग्रामीण विकास के लिए भू जलवायु आधारित नवोन्मेषण	894500	0
98	एस 1804 जीपीडीपी पर राष्ट्रीय कार्यशाला (सापीआर)	1214735	0
99	एस 2083 आईसीडीएपी योजना तैयारी केरल	2389999	2389999
100	एस 2103 एसआरपी राष्ट्रीय आजीविका अनुसंधान	(32427)	(5962)
101	एस 2125 - आरसेटी-प्रशिक्षण प्राप्ति/भुगतान	(138160)	0
102	एस 2146 जारी निधि के उपयोग पर अध्ययन	(73140)	0
103	एस 2156 बीआरजीएफ जिला जारियों पर एएमआर-अपार्ड	(79932)	0

31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्रम संख्या	समूह विवरण	31 मार्च, 2018 रु.	31 मार्च, 2017 रु.
104	एस 2176 पी एम ए जी वाई, सी ई एस डी	6081461	6081461
105	एस 2177 ई टी सी टी ओ टी - 3 सी एस ई आर ई	1566382	1566382
106	एस 2183 बेहतर कार्य - आई ए वाई	1816918	1747037
107	एस 2185 एस एल सी जी एम - एन आर एल एम	0	(3670789)
108	एस 2187 जलागम परियोजना 2010-11 में निवेश का प्रभाव	1	1
109	एस 2188 आई ए वाई 2010-11 की योजना और प्रबंध (सी आर ई)	1255067	1255067
110	एस 2189 - एस जी एस वाई पर टी ओ टी II एन टी ए पी (सीएसईआरई)	965027	965027
111	एस 2191 मनरेगा के अंतर्गत विशेषज्ञ समूह	717695	838351
112	एस 2214 सिर्डाप 2009	3300	0
113	एस2239-सिर्डाप प्रशिक्षण कार्यक्रम -2013-14	3345114	1195480
114	एस 2313 कपार्ट - जी वी ए / एन जी ए (सीपीएमई)	80324	80324
115	एस 2314 एस आई आर डी, रांची, झारखंड को पुनर्जीवित करना	247875	247875
116	एस 2317-उत्थान सिंचाई स्कीम ए पी एस आई डी सी (सीएस एवं डीएम) 2011	108629	108629
117	एस 2321 सी एस ई आर ई- उप खंड टी ओ टी -III	15040821	18689110
118	एस 2346 आईएवाई की योजना एवं प्रबंधन - 2012-13	4988081	4796232
119	एस 2352- आ.प्र.में एटीएमए क्रियाकलापों का मूल्यांकन अध्ययन	1497834	1497834
120	एस 2354-क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम -जलागम विकास परियोजना	8292389	8307389
121	एस 2357 पी ए जी	(3210388)	(3210388)
122	एस 2389-अल्पसंख्यकों पर प्रधानमंत्री की नई 15 बिंदु कार्यक्रम (सीपीएमई)	(172995)	(101392)
123	एस 2398-जलागम विकास कार्यक्रम एवं आईडब्ल्यूएमपी का पूर्व मूल्यांकन (सी)	863839	(796811)
124	एस 2399-नरेगा के अंतर्गत कम निष्पादन जिलों का अभिग्रहण	23588	23588
125	एस 2404-आरएमएसए का अनुश्रवण (ईडीसीआईएल इंडिया)	(326046)	(326046)
126	एस 2413-विश्व बैंक कार्यशाला -भू शासन	64903	64903
127	एस 2414-सिर्डाप ढाका में सीगार्ड एवं वीएलसी की स्थापना	(3804943)	(7872336)
128	एस 2415-जीआई शिक्षा को बढ़ावा देने पर आरवीएम-एसएसए-परियोजना	(42)	(40)
129	एस 2426-क्षमता निर्माण -एमजीएनआरईजीए (सीडब्ल्यूईपीए)	(27800)	0
130	एस 2428-केरला इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (केआईएलए)	33889100	32601598
131	एस 2475-नरेगा के अंतर्गत अनुसंधान अध्ययन	(358972)	(358972)
132	एस 2498-वर्जित/ गैर निष्पादक पूर्व आईडब्ल्यूएमपी पर अध्ययन	3441971	3429553
133	एस 2502 क्षमता निर्माण पर एस टी पी - आर के वी वाई, ओडिशा सरकार	968727	931468
134	एस 2506 एस पी अनुदान	(27822)	0
135	एस 2516-220 आईएवाई के प्रशिक्षण एवं प्रबंध के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	10081745	13995900
136	एस 2518-प्रशिक्षण सह जागरूकता -नरेगा एवं आईएवाई (1-15/9/14)	1994861	4047343
137	एस 2523-लक्ष्य	518823	2115247
138	एस 2524-एसएसए- टी. राज्य (2014-15)	19209	(90487)
139	एस 2529-आरकेवीवाई आ.प्र.-आरकेवीवाई परियोजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण (सीपीएमई)	656866	660707

31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्रम संख्या	समूह विवरण	31 मार्च, 2018 रु.	31 मार्च, 2017 रु.
140	एस 2536-राष्ट्रीय जल मिशन (3 प्रशिक्षण कार्यक्रम)	433848	617448
141	एस 2541-रूरबन मिशन (एसपीएमआरएम)	31128692	7758768
142	एस 2549- स्वयं स्रोत राजस्व के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला	280993	322768
143	एस 2551-तकनोलॉजी का अंतरण -आरटीपी-एनएफडीबी	476311	457991
144	एस 2552 - कृषि संबंधी असंतुष्टि पर अध्ययन	(3423)	(3291)
145	एस 2553- ओडिशा के बोलनगिर जिला में प्रवासी क्षेत्रों का अध्ययन	28665	37008
146	एस 2559-उपभोक्ता शिक्षा - गौतमि फाउंडेशन	25750	24760
147	एस 2565-यूनिसेफ -संगम परियोजना (सीजीएसडी)	86663	147443
148	एस 2566-एनआईआरडी-जीएचएस उभरती अर्थव्यवस्थाएं प्राइवेट लिमिटेड (सीजीएसडी)	436084	424666
149	एस 2569-आईएसएस परिवीक्षार्थियों का प्रशिक्षण (जनवरी-18-22,2016) सीडब्ल्यूईपीए	2772	89364
150	एस 2570-एनडीडीबी-पीओ प्रशिक्षण -जनवरी 4-9/16 सीपीएमई	153741	147828
151	एस 2576-राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा प्रशिक्षार्थियों का अध्ययन दौरा	699228	751550
152	एस 2577 आरएडीपीएफआई विशेष योजना	(1279125)	(1227439)
153	एस 2579 एनआईआरडी पीआर एवं यूनिसेफ	13625	16556
154	एस 2580 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	(659778)	(465712)
155	एस 2584 योजना पीआरजी ओडीशा के अभिसरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	629154	604956
156	एस 2585 एपीएनए का निष्पादन - आन्ध्र प्रदेश सरकार	173929	173717
157	एस 2586 समता पहुँच समावेशन पर राष्ट्रीय सेमिनार	(160126)	(153967)
158	एस 2587 पीएमएजीवाई	(73585)	(70755)
159	एस 2589 अत्यंत पीडित क्षेत्रों में जल संसाधन का प्रबंधन	(194)	0
160	एस 2701 निर्धनता एवं असमानता ऑकलन पर प्रशिक्षण	109782	105560
161	एस 2702-पंचायत राज-मेघालय सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधियों का परिचयात्मक दौरा	430580	421288
162	एस 2703 प्रोटो टाईप आरएच अगस्त 29 -एससीपी 7 2016 का एसटीपी गठन	1033650	(292730)
163	एस 2704 एसटीपी केआई एलए पीआरआई दिसंबर 5-7 2016 सी पीआर	(5158)	(4960)
164	एस 2706 ग्रामीण विकास में जेंडर बजटिंग	(182927)	1320683
165	एस 2707 जिला परिषद झारखंड राज्य के लिए ग्रामीण विकास	807085	(137586)
166	एस 1701 पीसीडी भुबनेश्वर ओडिशा सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	762084
167	एस 1702 डीएससीडब्ल्यूडी भुबनेश्वर प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	217069
168	निष्क्रिय चिन्हित निधि	153265016	147370208
169	पी 0006 (ए)-अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम -2013-14	16303249	3273587
170	पी 0006 पी-प्रायोजित अनुसंधान परियोजना - एनईआरसी	(1475939)	0
171	पी 0006 पी-प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (भुगतान)	62405136	60847351
172	पी 0006 पी-प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (भुगतान) - एनईआरसी	3259290	0
173	एस 0117 एस-यूएनडीपी उचंत	(917637)	0
174	एस 0126-यूएनडीपी -13	3641064	0
175	एस 2225 टॉलिक -हिन्दी	4197	0

31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्रम संख्या	समूह विवरण	31 मार्च, 2018 रु.	31 मार्च, 2017 रु.
176	एस 2237-अवर्गीकृत आरटीजीएस प्राप्तियां	0	36745636
177	एस 2706 ग्रामीण विकास में समुदाय उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	(8175)
	परियोजना बैंक खाता		
178	सीआरसीडीबी एवं एमआई	93997091	88808660
179	डीडीयू-जीकेवाई	68565724	157210793
180	मनरेगा	931214050	241258921
181	एमकेएसपी	8308161	7943494
182	एनआरएलएम क्षे.का	5933660	22235345
183	आरसेटा-एनआईआरडीपीआर	67972763	181828924
184	एसआरएससी-एनआईआरडीपीआर	82654076	86543896
185	यू एन महिलाएँ	6387	542480
186	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (ए4 को अंतरित)	20311416	21298090
	कुल	1837208047	1305187370
अनुसूची (एल 4) परामर्श परियोजनाएं			
	एनआईआरडीपीआर - मुख्यालय		
1	सी 0394-परिवार कल्याण कार्यक्रम पर पंचायत के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण	4229469	4229469
2	सी 0432-इन्डस आय सृजन घटक का प्रभाव	81701	81701
3	सी 0434-सामाजिक लेखा परीक्षा - समुदाय पर एक अग्रणी परियोजना	84000	84000
4	सी 0438 क्रियाविधि अफगानिस्तान अधिकारी	1008572	1008572
5	सी 0439 अफगानिस्तान दल (आर टी पी)	1283292	1283292
6	सी 0444 यू एन डी पी (आईएल एवं एफएस) सीपीएमई	391372	391372
7	सी 0445 यमन गणतंत्र - सीआरसीडीबी	472698	472698
8	सी 0446 हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड - सीईएसडी	560891	560891
9	सी 0447- अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सह परिचय - नैजीरियन शिष्टमंडल	1923724	1923724
10	सी 0449 भी के सतत अभिसरण मॉडलों का मूल्यांकन	184204	184204
11	सी 0451 अफगानी पदाधिकारियों का परिचयात्मक दौरा (25.8.13)	100279	1095079
12	सी 0452 तमिलनाडु जलागम विकास अभिकरण - परामर्श	310518	973718
13	सी 0453 अग्रिम दूर संवेदी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, गणतंत्र	465954	465954
14	सी1707 अतिथि वक्ताओं के लिए मानदेय	(13040)	0
15	एस 2398 - जलागम विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन	1658000	0
16	जेड 0032 -100% वित्तीय समावेशन पर मूल्यांकन अध्ययन	(9)	(9)
	एनआईआरडीपीआर - क्षे.का		
17	एटीएमए - सिक्किम - क्षे.का	152427	152427
18	असम में बेसलाईन सर्वेक्षण पीएमएजीवाई	(162196)	(162196)
19	क्षमता निर्माण - प्रशिक्षण एन ई सी - एन आर एल एम- क्षे.का	860551	860551
20	सी - गार्ड आधारभूत संरचना विकास (एनईसी) - क्षे.का	1295206	1299887
21	असम - क्षे.का द्वारा चैना मलेशिया का परिचयात्मक दौरा	(1665212)	277082

31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्रम संख्या	समूह विवरण	31 मार्च, 2018 रु.	31 मार्च, 2017 रु.
22	परामर्शी -घाटी विकास प्रशिक्षण - मेघालय	1823710	0
23	परामर्शी एनआरएलएम क्षेत्र.का एनईआरसी बैंक लेनदेन -क्षे.का	(833367)	0
24	परामर्शी-बीएलएस-पीएमएजीवाई-असम-क्षे.का	2114611	0
25	परामर्शी - ईपीआरआईएस परियोजना - क्षेत्र.का	(15806)	0
26	परामर्शी - आईडब्ल्यूएमपी बी-II एवं III नागालैंड का विकास - क्षेत्र.का	217577	0
27	परामर्शी - आईडब्ल्यूएमपी का विकास - त्रिपुरा बी-I - क्षेत्र.का	(334533)	0
28	परामर्शी - पीईआर - अंडमॉन एवं निकोबार द्वीव का असम के लिए परिचयात्मक दौरा- क्षेत्र.का	81786	0
29	परामर्शी - दक्षिण कोरिया एवं जापान के लिए परिचयात्मक दौरा - क्षेत्र.का	670597	0
30	परामर्शी - जीआईएस संसाधन मानचित्रण - क्षेत्र.का	1650330	0
31	परामर्शी - एचईएससीओ परियोजना - क्षेत्र.का	850633	0
32	परामर्शी - एनआईआरएमओवाई परियोजना - क्षेत्र.का	355978	0
33	परामर्शी - एनआरएलएम क्षेत्र.का एनईआरसी परियोजना	3770483	3770483
34	परामर्शी - 10% पारिश्रमिक सभी परियोजनाएं - क्षेत्र.का	(313180)	0
35	परामर्शी - आर आर सी - एमजीएनआरआईजीएस असम - क्षेत्र.का	(33753)	0
36	परामर्शी - एसएलएनए - त्रिपुरा - क्षेत्र.का	200000	0
37	परामर्शी - अध्ययन - एमजीएनआरआईजीएस - पी एवं आरडी असम - क्षेत्र.का	142724	0
38	परामर्शी - जल संसाधन विभाग मेघालय - क्षेत्र.का	(33438)	0
39	डीडीयू-जीकेवाई - क्षेत्र.का	317156	493888
40	बीआरजीएफ का मूल्यांकन अध्ययन - मेघालय - क्षेत्र.का	37487	37487
41	एसआईआरडी, राजस्थान द्वारा परिचयात्मक दौरा	73934	73934
42	मत्स्य एवं अंजीर कृषक (मेघालय) - क्षेत्र.का	2577107	2577107
43	जीआईएस-एमएपी-आई डब्ल्यू एम पी-असम - क्षेत्र.का	109239	109239
44	आईडब्ल्यूएमपी - मूल्यांकन पीएमकेएसवाई - बी-I-त्रिपुरा - क्षेत्र.का	280000	280000
45	आई डब्ल्यू एम पी - कोकराझार - क्षेत्र.का	93787	93787
46	आई डब्ल्यू एम पी-प्रशिक्षण -एसएलएनए-असम - क्षेत्र.का	1122817	1122817
47	आई डब्ल्यू डब्ल्यू पी - मूल्यांकन परियोजना नागालैंड - क्षेत्र.का	749990	749990
48	सौर ऊष्मीकरण सिस्टम के लिए एमएनआरआई - क्षेत्र.का	399969	399969
49	एनईसी -क्षमता -निर्माण-एनआरएलएम-तीसरा चरण - क्षेत्र.का	(2408792)	(1482481)
50	एनईसी - एमएपी - क्षेत्र.का	(121048)	(121048)
51	एनईसी - झूम कृषि भू-स्थायनीय प्रौद्योगिकी - क्षेत्र.का	4922862	6000000
52	एनएफडीबी -बील मछली प्रशिक्षण - क्षेत्र.का	114783	114783
53	एनएफडीबी -कतौरा -नलहरी में मत्स्य पालन विकास- क्षेत्र.का	31171	31171
54	वर्षा जल सिंचाई - क्षेत्र.का	(1115)	(1115)
55	एसएमई पर एसटीपी और दक्षिण कोरिया एवं जापान के लिए परिचयात्मक दौरा - असम सरकार -क्षे.का	1942294	4010291
56	मेघालय के लिए जल संसाधन पर एसटीपी - क्षेत्र.का	169655	93000
57	टीएसआई-बीआरजीएफ, मेघालय - क्षेत्र.का	639036	639036

31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्रम संख्या	समूह विवरण	31 मार्च, 2018 रु.	31 मार्च, 2017 रु.
58	ग्राम अभिग्रहण - हतियुता - क्षे.का	15656	15656
59	व्यावसायिक प्रशिक्षण - डब्ल्यूजीएच - मेघालय - क्षे.का	3192505	3648521
60	वेस्ट गारो हिल्स -मेघालय प्रशिक्षण एवं परिचयात्मक दौरा - क्षे.का	1495000	1495000
61	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (ए 8 को अंतरित)	5935489	1766849
	कुल	452255734	41100780
अनुसूची (एल 5) परामर्शी देयताएं			
1	निवेश पर 25% ब्याज - हितकारी निधि	284273	104024
2	निवेश पर 75% ब्याज - विकास निधि	852821	312072
3	सी 0269-सामान्य एवं परामर्शी खाते के बीच अंतरण	(490000)	168000
4	सी 0272 मानदेय उचंत	1092855	1092855
5	सी0282 आयकर	3900	0
6	विविध प्राप्तियाँ -एनईआरसी	111624	0
7	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (ए 8 को अंतरित)	490000	0
8	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (ए 8 से अंतरित)	462414	462414
	कुल	2807887	2139365
अनुसूची (एल 6) देयताएं एवं प्रावधान			
1	एस 0010 एस-प्रतिभूति जमा (मुख्यालय)	5127836	6084684
2	एस 0010 एस-प्रतिभूति जमा - एन ई आर सी	804248	645408
3	एस 0011 एस-बयाना राशि जमा (मुख्यालय)	3555224	4619891
4	एस 0011 एस-बयाना राशि जमा - एन ई आर सी	293415	354662
5	एस 0014 एस-आय कर (ठेकदार)	429195	0
6	एस 0014- टी डी एस वेतन 92 बी	474124	0
7	एस 0058 एस- बिक्री कर / वैट	154109	0
8	एस 0131 - सिगनेरेज	0	0
9	एस 2119 आरसेटी	1450463	1143721
10	एस 2233 परियोजना से एनआईआरडी को अनुश्रवण प्रभार	277312222	299528335
11	एस 2237 अवर्गीकृत आरटीजीएस प्राप्तियाँ	11243633	0
12	एस 2372-मजदूर उपकर	0	0
13	सेवा कर	(9538)	0
14	टी 1011-बकाया देयताएं	50883194	37378007
15	टी 1015 योजना (सामान्य)	0	61901518
16	पी 0006 पी - प्रायोजित अनुसंधान परियोजना - एनईआरसी	0	(1475939)
17	पी 0006 पी - प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (भुगतान)- एनईआरसी	0	3258752
18	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (ए 04 को अंतरित)	9538	1475939
	कुल	351727662	414914979
अनुसूची (ए 7) पारगमन लेखा			
1	एस 0015 एस-एल आई सी	(720)	(12501)
2	एस 0016 एस-जी आई एस	(17766)	114687

31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्रम संख्या	समूह विवरण	31 मार्च, 2018 रु.	31 मार्च, 2017 रु.
3	एस 0018 एस-वृत्ति कर	42250	0
4	एस 0019 एस-एस आर सी	(130)	0
5	एस 0202 एस-सामान्य भविष्य निधि -वेतन	788415	0
6	एस 2251 यूएस प्रशासन मिजोरम सरकार	1320	0
7	पुराने चेक	531246	531246
8	एस 0014 एस-आय कर (ठेकदार)	0	796509
9	एस 0014 टीडीएस वेतन 92बी	0	423311
10	एस 0117-एस - यू एन डी पी उचंत	0	(917637)
11	एस 012-यू एन डी पी -13	0	3641064
12	एस2225 टॉलिक -हिन्दी	0	17368
13	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (ए 7 को अंतरित)	18616	930138
	कुल	1363231	5524185
अनुसूची (एल 8) अंतरण लेखा			
1	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (ए 11 से अंतरित)	124969014	1800366
	कुल	124969014	1800366
अनुसूची (एल 8) परामर्शी अंतरण लेखा			
1	परामर्शी - सामान्य निधि को अंतरण	416658	416658
2	जेड 0029-परामर्शी अंतरण लेखा	608788	608788
	कुल	1025446	1025446
अनुसूची (ए 4) चालू आस्तियां एवं अग्रिम			
1	प्रधानमंत्री - मुख्यमंत्री राहत निधि	89781	89781
2	क्षे.का - सीपीडब्ल्यूडी पूंजीगत कार्य - एनईआरसी	1766147	1766147
3	एस 2203 परियोजना आकस्मिकताएं आकस्मिकताएं	800076	0
4	क्षे.का - एनईआरसी - उचंत	2553786	0
5	टी 1009-अंतः शेष	7322748	8904964
6	टी 1010-अर्जित आय	90865333	44820959
7	टी 1012- पूर्व प्रदत्त व्यय	578480	870213
8	टी 1136 टी-उपलब्ध स्टैम्प	83857	32658
9	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (एल 3 से अंतरित)	20311416	21298090
10	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (एल 6 से अंतरित)	9338	1475939
	कुल	124381162	79258751
अनुसूची (ए 4) सामान्य लेखा और परियोजना पारगमन लेखा			
1	एस 2101-सीआरसीडीबी	0	370406
2	एस 2123 आईसीएआर एनएआईपी कृषि - सी-गार्ड	365603	365603
3	एस 2326 एसआरएस चेयर ग्रामीण श्रमिक	1444468	460362
4	एस 2405-एनआरएलएम संसाधन सेल	510930	0
	कुल	2321001	1196371

31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्रम संख्या	समूह विवरण	31 मार्च, 2018 रु.	31 मार्च, 2017 रु.
अनुसूची (ए 4) ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी			
1	कर्मचारियों को अग्रिम	1511434	1998489
2	एन 0009 एन-मोटर वाहन अग्रिम (प्राप्ति)	426355	581439
3	एन 0009 एन-मोटर वाहन अग्रिम (प्राप्तियाँ) - एनईआरसी	(122291)	84987
4	पी 0003 पी-आवास निर्माण अग्रिम (प्राप्तियाँ)	(1282576)	(1191856)
5	पी 0003 पी-आवास निर्माण अग्रिम (प्राप्तियाँ) - एनईआरसी	(67980)	30600
6	पी 0017 पी-आवास निर्माण अग्रिम	1996778	1996778
7	आरसी - विविध अग्रिम - एनईआरसी	565478	228365
8	एस 0001 एस-साईकल अग्रिम	3900	0
9	एस 0001 एस-साईकल अग्रिम - एनईआरसी	(3025)	575
10	एस 0003 एस-त्यौहार अग्रिम	291276	464976
11	एस 0003 एस-त्यौहार अग्रिम - एनईआरसी	(57150)	43350
12	एस 0102 एस-अग्रदाय	95275	0
13	एस 0104-एस -वैयक्तिक कम्प्यूटर अग्रिम	(77636)	162219
14	एस 0104-एस -वैयक्तिक कम्प्यूटर अग्रिम - एनईआरसी	(12588)	29362
	कुल	3267250	4429284
अनुसूची (ए 5) जमा			
1	अतिथि गृह मरम्मत के लिए सीपीडब्ल्यूडी के पास जमा	10833333	0
2	विज्ञान एवं तकनोलॉजी के लिए टीएस परिषद के पास जमा	0	375400
3	एलडीओ उत्तर दिल्ली के साथ जमा	1894586	1894586
4	पी 0016-टेलिफोन एवं अन्य जमा	488675	488675
5	टी 1117-ब्याज सहित प्रतिभूति जमा, ए पी एस ई बी (आरआरएस 345)	1940270	1940270
6	टी 1118-ब्याज सहित प्रतिभूति जमा, ए पी एस ई बी (आरआरएस 538)	509200	509200
7	टी 1119-महा प्रबंधक टेलीफोन के साथ जमा	374496	374496
8	टी 1120-ए पी डी डी सी के साथ जमा	6240	6240
9	टी 1121-जूबली डाक कार्यालय	0	1650
10	टी 1124-सपना उद्यम के साथ जमा	7200	7200
11	टी 1125-सी एच.एस पी, सी टी ओ के साथ जमा, टेलीफोन कार्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद	10000	10000
12	टी 1138-अन्य एजेन्सियों के साथ जमा	970500	970500
13	टी 1140 एपीसीपीडीसीएल के साथ जमा (अरावली अतिथि गृह)	464203	464203
14	टी 1142 एलडीओ - आरटीपी भूमि के साथ जमा	1500000	1500000
	कुल	18998703	8542420
अनुसूची (ए 6) सावधि जमाओं में निवेश			
	सामान्य		
1	एस 0005-सावधि एवं लघु अवधि जमा लेखा	1306671866	576917674
2	एस 2235 बी जी के विपरीत एस बी एच के पास सावधि जमा	616000	616000
	कुल	1307287866	577533674

31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्रम संख्या	समूह विवरण	31 मार्च, 2018 रु.	31 मार्च, 2017 रु.
	चिन्हित निधियां		
1	भवन निधि	152767668	139732793
2	संचित निधि	1824060780	919838003
3	विकास निधि	81499291	75292432
4	डीडीयू-जीकेवाई	50000000	0
5	एसआरएससी	82000000	82000000
6	सीएफआईई	92923736	86713490
	कुल	2283251475	1303576718
	अनुसूची (ए 7) पारगमन लेखा		
1	एस 2203 परियोजना आकस्मिकताएं	0	504722
2	एस 0102 एस-अग्रदाय	0	95275
3	एस 0202 एस-जीपीएफ वेतन	0	368884
4	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (एल7 से अंतरित)	18616	930138
	कुल	18616	1899019
	अनुसूची (ए 8) परामर्शी आस्तियां		
1	अग्रिम टी ए/डी ए - क्षे. का	307700	296300
2	सी 0270 -हितकारी निधि उचंत	29393	29393
3	सी 027-विकास निधि उचंत	34693	34693
4	सी-डैप - एपी - क्षे. का	902	902
5	ईएमडी - क्षे. का	20000	20000
6	विविध अग्रिम - क्षे. का	(99800)	(99800)
7	प्रतिभूति जमा - क्षे. का	(362614)	(362614)
8	जेड 0026 - आय कर (ठेकेदार)	2101	2101
9	जेड 0031-परामर्शी उपार्जित ब्याज	1137094	416096
10	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (एल4 से अंतरित)	5935489	1766849
11	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (एल5 से अंतरित)	490000	0
12	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (एल5 को अंतरित)	462414	462414
	कुल	7957371	2566334
	अनुसूची (ए 9) सामान्य लेखों का अंतःशेष		
	नकद लेखा शेष		
1	भवन निर्माण निधि-एसबीआई-एनआईआरडी शाखा	254922	3583801
2	संचित -एसबीआई-एनआईआरडी - 62112588084	129297994	804845114
3	विकास -एसबीआई-एनआईआरडी शाखा (खाता सं 52040475255)	2433775	1413202
	सामान्य लेखा शेष		
4	सीएफआई -एसबीआई-एनआईआरडी (62094863681)	1073355	2095170
5	डीडीयू-जीकेवाई - एसबीआई एनआईआरडी शाखा (62431332037)	18565724	157210793

31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्रम संख्या	समूह विवरण	31 मार्च, 2018 रु.	31 मार्च, 2017 रु.
6	एमजीएनआरईजीए -एसबीआई-एनआईआरडी शाखा (624766174622)	931214050	241258921
7	एमकेएसपी-एसबीआई-एनआईआरडी (62185305487)	8308161	7943494
8	एनआरएलएम-एसबीआई-एनआईआरडी शाखा (62431461891)	5933660	22235345
9	पीएनबी-एनईआरसी(चा.खा-1907012100000012)	13686545	4529665
10	आरसेटी -आन्ध्रा बैंक (125510100098057)- राजेन्द्रनगर	67972763	181828924
11	एसबीआई बचत बैंक खाता (62491365119)	147999106	88719034
12	एसबीआई चालू खाता (52040475062)	391	361158
13	एसबीआई -डीईसी पीजीडी एसआरडी (62114579633)	1501	1000
14	एसबीआई-एनआईआरडी डीईसी-पीजीसीगार्ड (62350105231)	1001	1000
15	एसबीआई-एनआईआरडी पीजीडीआरडीएम (62052905893)	1000	1000
16	एसबीआई बचत बैंक खाता (52040475313)	475914961	1140950325
17	एसआरएससी-एसबीआई-एनआईआरडी राजेन्द्रनगर (62221101177)	654076	4543896
18	यूएनडब्ल्यू -एसबीआई यूएन महिला बैंक (62487461885)	6387	542480
	कुल	1803319370	2662064322
अनुसूची (ए 10) अंतःशेष परामर्शी लेखा			
1	परामर्शी- एनआरएलएम आरसी - एनईआरसी	2937116	3770483
2	पीएनबी-गुवाहाटी -एनईआरसी	28773360	27872421
3	एसबीआई-एनआईआरडी (52040475346)- परामर्शी	387629	1055389
4	नकद - एनईआरसी	2971	964
	कुल	32101076	32699257
अनुसूची (ए 11) अंतरण लेखा			
1	एस 0008 एस-मुख्यालय एवं गुवाहाटी के बीच अंतरण	0	0
2	एस 0009 एस -सामान्य खाता एवं परामर्शी खाते के बीच अंतरण	1000000	168000
3	एस 0030 सामान्य खाता एवं भविष्य निधि के बीच अंतरण	14674379	3403682
4	एस 0066 एस-बचत बैंक खाते से सामान्य खाते के बीच अंतरण	50000	0
5	एस 2216 सीएलटीडी से सामान्य खाते के बीच अंतरण	(123118648)	9169115
6	एस 2508-सामान्य खाता एवं आजीविका कौशल के बीच अंतरण	493	0
7	टी 1116 सामान्य खाते के लिए अंतरण	10516035	260888
8	313 से भुगतान बचत 5119 के बीच अंतरण	(50000)	0
9	एलसीबी एनआईपी (708) को एसबी खाता 313 में अंतरण	(1800366)	(1800366)
10	डीडीयू जीकेवाई 531 खाते से एसबी 313 खाते के बीच अंतरण	9376897	0
11	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (एल 8 को अंतरित)	124969014	1800366
	कुल	35617804	13001685

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31-03-2018 को समाप्त वर्ष के लिए हितकारी निधि की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा


31 मार्च 2017 को रु.	प्राप्तियाँ	31 मार्च 2018 को रु.
4591952	प्रारंभिक शेष - बैंक	2249705
64591	परामर्शी निवेश पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - मुख्यालय	17908
237148	परामर्शी एस बी खाते पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - क्षे.का	301798
34171143	सावधि जमा में निवेश (परिपक्व)	31003729
2889848	निवेशों पर ब्याज	2185328
120429	कर्मचारियों से अंशदान - एन आई आर डी	134722
18080	कर्मचारियों से अंशदान - एन ई आर सी	18200
755568	विवाह ऋण की वसूली	741710
295824	शिक्षा ऋण की वसूलियां	173949
147915	ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	82811
3100	कराटे कोचिंग के लिए वसूले गए शुल्क	0
95445	एस बी खाते पर ब्याज	57848
43391043	कुल	36967708
भुगतान		
1050000	विवाह ऋण	850000
39956588	सावधि जामाओं में निवेश	33189057
84750	उच्चतर शिक्षा ऋण	70000
50000	मृतक स्टाफ के निराश्रित परिवार को सहायता	0
0	विविध व्यय	52485
0	बैंक प्रभार	1681
2249705	अंतःशेष - बैंक	2804484
43391043	कुल	36967708

चंदा

(चंदा पंडित)
वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए हितकारी निधि का आय एवं व्यय लेखा

31 मार्च 2017 को रु.	आय	31 मार्च 2018 को रु.
64591	परामर्शी निवेश पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - मुख्यालय	17908
237148	परामर्शी एस बी खाते पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - क्षे.का	301798
104024	परामर्शी निवेशों पर प्राप्त 25% अर्जित ब्याज का अंतरण - मुख्यालय	180249
120429	कर्मचारियों से अंशदान - मुख्यालय	134722
18080	कर्मचारियों से अंशदान - एन ई आर सी	18200
147915	ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	82811
3100	कराटे कोचिंग के लिए वसूले गए शुल्क	0
2254361	निवेशों पर ब्याज	1382890
802438	प्राप्त ब्याज	1323300
95445	एस बी खाते पर ब्याज	57848
0	अन्य प्राप्तियां	0
3847530	कुल	3499726
	व्यय	
50000	मृतक स्टाफ के निराश्रित परिवार को सहायता	0
0	विविध व्यय	52765
0	बैंक प्रभार	1682
3797530	व्यय पर आय की अधिकता को तुलन पत्र में लेजाया गया	3445280
3847530	कुल	3499726



(चंदा पंडित)

वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2018 को हितकारी निधि का तुलन पत्र

31 मार्च 2017 को रु.	देयताएँ	31 मार्च 2018 को रु.
42636472	पूंजीगत निधि - प्रारंभिक शेष	46434002.48
3797530	जोडे :तुलन पत्र में लेजाया गया व्यय पर आय की अधिकता	3445279.50
46434002		49879283
46434002	कुल	49879283
आस्तियाँ		
41829727	सावधि जमा में निवेश	44015055
802438	प्राप्त ब्याज	1323300
104024	परामर्शी निवेशों पर 25% प्राप्त ब्याज का अंतरण - मुख्यालय	284273
1448109	कर्मचारियों को अग्रिम	1452170
2249705	अंतःशेष - बैंक	2804485
46434002	कुल	49879283

चंदा


(चंदा पंडित)
वित्तीय सलाहकार

वु. रामपुल्लु रेड्डी!

(डब्ल्यू आर रेड्डी)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भविष्य निधि की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

31 मार्च 2017 को रु.	प्राप्तियाँ	31 मार्च 2018 को रु.
8212155	प्रारंभिक शेष - बैंक	69815472
2882829	अंशदान / अग्रिम वसूली (एनईआरसी)	6192739
37977706	अंशदान / अग्रिम वसूली (मुख्यालय)	35567317
2806208	प्रबंध योगदान	3669007
12626549	निवेशों पर ब्याज	0
293885	एस बी खाते पर ब्याज	329180
126247222	सावधि जमाओं का नकदीकरण	0
2500000	सामान्य खाता एवं भविष्य निधि खाते के बीच अंतरण	8861543
193546554	कुल	124435258
भुगतान		
46086932	जी पी एफ	39908893
4042482	सी पी एफ	7568184
2075507	नई पेंशन योजना	4635496
52204921		52112573
71525591	निवेश	60100000
570	बैंक प्रभार	4337
0	भविष्य निधि खाते से सामान्य खाते को अंतरण	
69815472	अंतःशेष - बैंक	12218348
193546554	कुल	124435258



(चंदा पंडित)
 वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
वर्ष 2017 - 18 के लिए भविष्य निधि का आय एवं व्यय लेखा

31 मार्च 2017 को रु.	आय	31 मार्च 2018 को रु.
7759457	निवेशों पर ब्याज	0
4834416	प्राप्त ब्याज	12125196
293885	एस बी खाते पर ब्याज	329180
12887758	कुल	12454376
व्यय		
7509784	जीपीएफ को जमा किया गया ब्याज (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का)	7358899
1299625	सीपीएफ को जमा किया गया ब्याज (स्वयं का अंशदान)	1336911
766067	सीपीएफ को जमा किया गया ब्याज (संस्थान का अंशदान)	977288
1078037	एनपाएस-टी-I को जमा किया गया ब्याज (स्वयं का अंशदान)	0
911615	एनपीएस - टी-I को जमा किया गया ब्याज (संस्थान का अंशदान)	0
570	बैंक प्रभार	4337
1322060	व्यय पर आय की अधिकता	2776942
12887758	कुल	12454376

चंदा


(चंदा पंडित)
वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2018 को भविष्य निधि का तुलन पत्र

31 मार्च 2017 को रु.	देयताएँ	31 मार्च 2018 को रु.
भविष्य निधि की शेष राशि		
92700081	जी पी एफ	101598788
9612741	सी पी एफ	3379434
17900821	प्रबंध अंशदान	18647845
6598690	नई पेन्शन योजना - टाईर -I	6543990
12392583	प्रबंध अंशदान एनपीएस-टाईर -I	12024447
26164312	अधिशेष - ओ बी	27486372
1322060	आय की अधिकता जोड़े	2776942
501515	विविध लेनदार	501515
5403682	सामान्य निधि से अंतरण	14265225
172596485	कुल	187224557
आस्तियाँ		
97946597	निवेश	158046597
4834416	प्राप्त आय	16959612
69815472	बैंक में नकद	12218348
172596485	कुल	187224557



(चंदा पंडित)
वित्तीय सलाहकार



(डब्ल्यू आर रेड्डी)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
वर्ष 2017-18 के लिए एन आई आरडी एवं पीआर चिकित्सा संचित निधि की
प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा


31 मार्च 2017 को रु.	प्राप्तियाँ	31 मार्च 2018 को रु.
840089	प्रारंभिक बैंक शेष	1408407
3914935	परिपक्वित निवेश	0
469044	निवेशों पर ब्याज	0
630000	पेन्शन से अंशदान	1396400
1197362	कर्मचारियों से अंशदान	557425
59347	एस बी खाते पर ब्याज	60949
7110777	कुल	3423181
भुगतान		
322780	चिकित्सा व्यय - सदस्य	787260
5379590	निवेश	0
0	बैंक प्रभार	620
1408407	बैंक अंतः शेष	2635302
7110777	कुल	3423181

चंदा

(चंदा पंडित)
 वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
वर्ष 2017-18 के लिए एन आई आरडी एवं पीआर चिकित्सा
संचित निधि का आय एवं व्यय लेखा

31 मार्च 2017 को रु.	आय	31 मार्च 2018 को रु.
356958	निवेशों पर ब्याज	0
630000	पेन्शन से अंशदान	1396400
1197362	कर्मचारियों से अंशदान	557425
111108	निवेशों पर प्राप्त ब्याज	525725
59347	एस बी खाते पर ब्याज	60949
2354775	कुल	2540499
व्यय		
322780	चिकित्सा व्यय - सदस्य	787260
0	बैंक प्रभार	620
2031995	व्यय पर आय की अधिकता	1752620
2354775	कुल	2540499




(चंदा पंडित)
 वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2018 को एन आई आर डी पी आर चिकित्सा संचित निधि का तुलन पत्र

31 मार्च 2017 को रु.	देयताएँ	31 मार्च 2018 को रु.
6617754	एनआईआरडी चिकित्सा संग्रहण निधि :	8649749
2031995	जोडे : व्यय पर आय की अधिकता	1752620
8649749		10402369
8649749	कुल	10402369

आस्तियाँ		
7130234	निवेश	7130234
111108	निवेशों पर प्राप्त ब्याज	636833
1408407	बैंक अंतः शेष	2635302
8649749	कुल	10402369


(चंदा पंडित)
 वित्तीय सलाहकार

वु. रामपुल्लु रेड्डी!
(डब्ल्यू आर रेड्डी)
 महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची - 24 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां :

क) लेखाकरण करार

वित्तीय जानकारियों को अन्यथा वर्णन न किया गया हो उसे ऐतिहासिक लागत करार एवं लेखाकरण की संग्रहण पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है ।

ख) संस्थान के लेखे

संस्थान निम्नलिखित निधि लेखों का रखरखाव करता है :

- i) सामान्य लेखा
- ii) परामर्शी लेखा
- iii) हितकारी निधि लेखा
- iv) भविष्य निधि लेखा
- v) एन आई आर डी पी आर चिकित्सा संग्रहण निधि लेखा

संस्थान के वित्तीय उप-नियमों में निर्दिष्ट किए अनुसार संस्थान के लेखों को महानिदेशक द्वारा संकलित, अनुमोदित एवं तैयार किया जाना होता है जिसमें निम्नलिखित तीन जानकारी को दर्शाया जाना होता है और इस तरह संकलित वार्षिक लेखा को संस्थान के लेखा परीक्षकों के सम्मुख 30 जून से पहले लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत की जाती है ।

- i) प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा
- ii) आय एवं व्यय लेखा
- iii) तुलन-पत्र

लेखों के लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक को भेजा जाता है ।

2. सरकारी अनुदान : संस्थान को निधिपोषण केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान से होता है । लेखा अनुदान (योजना और योजनेत्तर) की गणना संग्रहण आधार पर की जाती है । वर्ष की समाप्ति पर पूंजीगत अनुदान की राशि को उपयोग में लाया जाता है । उपयोग में न लाये गए शेष ऐसे अनुदान बकाया को तुलन-पत्र देयताओं में अनुदानों के अंतः शेष में दर्शाया जाता है । योजना और योजनेत्तर के अंतर्गत विशिष्ट रूप से प्राप्त निधियों की गणना पृथक रूप से की जा रही है ।

3. परिसंपत्तियों का मूल्यांकन : वर्ष की समाप्ति पर तुलन पत्र में मूल्यहास की लागत एवं दर्शाये गए निवल पर सावधि परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है ।

4. मूल्यहास : भारत सरकार, (वित्त मंत्रालय) द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्त संगठनों के लिए लेखों के सामान्य फार्मेट के अनुसार परिसंपत्तियों के मूल्यों पर मूल्यहास उपलब्ध कराता है । तदनुसार संस्थान के कार्यकारी परिषद के निर्णय के अनुसार आयकर अधिनियम में निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाईन पद्धति के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में आस्तियों के मूल्य पर

मूल्यहास के 100% लागू दरों को उपलब्ध कराया गया। वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के लिए, यदि अर्जित आस्तियों को 6 महीने से अधिक समय तक उपयोग किए जाते हैं तो लागू दर के अनुसार पूर्ण मूल्यहास और 6 महीने से कम अवधि के लिए उपयोग किए जाते हैं तो लागू दर के 50% मूल्यहास प्रदान की जाती है। मूल्यहास अवधि के अंत में संपत्तियों को रु. 1 के सामान्य मूल्य पर दर्शाया गया है। रुपए 5000 लागत वाली (पुस्तकालय पुस्तकों को छोड़कर) आस्तियां या उससे कम प्रत्येक को पूर्ण रूप से प्रदान किया गया है।

6. औषधीय सामग्री, लेखन सामग्री, इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रिकल्स के अंतः स्टॉक को खरीदी लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
7. पत्रिकाओं और प्रकाशनों के अंतः स्टॉक को लागत या बिक्री मूल्य जो भी कम हो मूल्यांकित किया जाता है।
8. नकद आधार पर परियोजना लेखों की गणना की जाती है।
9. **सेवानिवृत्ति लाभ :** सेवानिवृत्ति लाभ जैसे - पेन्शन, ग्रेच्युटी एवं छुट्टी नकदीकरण को अर्थात् जब कभी भी भुगतान किया गया हो नकद आधार पर प्रदान किया गया है। कृपया नोट संख्या 13 (डी) देखें।
10. **वित्तीय प्रबंधन :** संस्थान के वित्तों का प्रबंधन एवं नियंत्रण को सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को देखते हुए लागू किया जा रहा है।
11. संस्थान के वित्तीय उप नियम में बजट, निवेश नीतियां, लेखा और लेखा परीक्षा इत्यादि जिसे संस्थान में अपनाया जा रहा है उन्हें मिलाकर वित्तीय एवं लेखाकरण पहलुओं के लिए विभिन्न कार्य पद्धति निर्धारित है।
12. **आयकर :** संस्थान को आयकर अधिनियम की धारा 12 ए ए के अंतर्गत 01.04.2007 से छूट दी गई है कृपया आयकर निदेशक, हैदराबाद के आदेश (छूट), सं. डी आई टी (ई)/12 ए/हैदरा/21 (04)/07-08 दिनांक 20.09.2007 का अवलोकन करें। उसी प्रकार एन आई आर डी पी आर को 01.04.2009 से 31.03.2011 तक किए गए अंशदान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5) (Vi) के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की गई। कृपया आयकर (छूट) के निदेशक हैदराबाद के आदेश संख्या डी आई टी (ई) हैदरा/80 जी/17/(06)/09-10 दिनांक 17.07.2009 का अवलोकन करें। धारा 80 जी (5) (Vi) के अंतर्गत छूट को अगले आदेशों की प्राप्ति तक बढ़ाया गया है। कृपया आदेश संख्या डी आई टी (ई)/हैदराबाद/80 जी/20 (5) 11-12 दिनांक 26.08.2011 का अवलोकन करें।
13. **लेखों पर टिप्पणियां**
 - क. सामान्य लेखा में - आय एवं व्यय लेखा और तुलन पत्र में आंकड़ों को एन आई आर डी पी आर के लिए (एन ई आर सी - गुवाहाटी सहित) समग्र रूप से दर्शाया गया है। संस्थान प्रायोजक एजेन्सियों के साथ महानिदेशक द्वारा सहमत शर्तों और नियमों पर परामर्शी प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान अध्ययनों, परियोजनाओं इत्यादि को प्रारंभ करता है। संस्थान प्रायोजक एजेन्सी से शुल्क की वसूली करता है, ऐसे कार्यक्रमों/ परियोजनाओं की लागत के लिए एवं ऐसे परामर्शी कार्यों के व्यय को भी उसी से किया जाएगा।
 - ख. पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2016-17 तक विकास निधि, भवन निधि एवं संचित निधि के लिए पृथक वित्तीय लेखों को तैयार किया गया। संबंधित निधि नियमावली की समीक्षा के बाद सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त तीनों निधि लेखों को एन आई आर डी एवं पी आर लेखा में मिला दिया जाए। तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखों में विकास निधि लेखा, भवन निधि एवं संग्रह निधि को "चिन्हित निधि" के अंतर्गत गणना की गई है तथा इन निधियों के प्रत्येक शेष को तुलन पत्र में देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 3 "चिन्हित निधियों" में दर्शाया गया है।


तत्पश्चात्, संबंधित तीन निधियों की प्राप्तियां और भुगतानों को संबंधित निधियों के द्वारा ही भेजा जाएगा तथा एन आई आर डी एवं पी आर के आय एवं व्यय लेखा के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा ।

उपरोक्त तीनों निधियों में से सावधि परिसंपत्तियां जहाँ भी आवश्यक हो उसे एन आई आर डी एवं पी आर के अनुसूची 5 “नियत आस्तियों” के तहत दर्शाया जाएगा । इसलिए मूल्यह्रास को एन आई आर डी एवं पी आर के आय एवं व्यय लेखा में दर्शाया गया है ।

- ग. वित्तीय वर्ष 2016-17 को एन आई आर डी एवं पी आर के सामान्य लेखा के साथ-साथ परामर्शी लेखा के लिए पृथक लेखा को दर्शाया गया है । चूंकि परामर्शी लेखा सामान्य लेखा का भाग है । वित्तीय वर्ष 2017-18 से परामर्शी लेखा के लिए कोई पृथक लेखा को नहीं दर्शाया गया है ।
- घ. वित्तीय वर्ष 2016-17 तक अनुदानों को योजना और योजनेत्तर के तहत जारी किया गया । वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान “वेतन” एवं “सामान्य” के तहत केन्द्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान जारी किया गया । अतः आय और व्यय लेखा को तदनुसार तैयार किया गया ।
- ङ. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विभिन्न लेखों के निवेशों की जानकारी को सत्यापन हेतु संबंधित प्राधिकारियों में दर्शाया जाएगा ।
- च. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रामाणित बीमांकक के द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ जैसे - ग्रेच्युटी, पेन्शन एवं लीव एनकैशमेंट के लिए अपेक्षित अंतिम निर्धारण करने के लिए बीमांकक मूल्यांकन किया गया । 31 मार्च, 2018 को आकलित देयता की राशि रु. 110.98 करोड़ (ग्रेच्युटी - रु. 14.36 करोड़, पेन्शन्स - रु. 70.00 करोड़ एवं लीव एनकैशमेंट रु. 15.66 करोड़) थी । जी आर एफ 2017 के नियम संख्या 230 (12) (ii) के अनुसार “अनुदान संस्थाओं / संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि अपने स्वयं या सरकारी लेखा पर देयता लेने के बजाय पेन्शन या ग्रेच्युटी स्कीमों या समूह बीमा योजना या हाऊज बिल्डिंग ऋण या वाहन ऋण स्कीम जो कर्मचारियों के लिए मार्केट में उपलब्ध है से संबंधित संदर्भ को ध्यानाकर्षित किया गया है । चूंकि संस्थान अपने सभी क्रियाकलापों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निधिपोषित है । मंत्रालय से यह अनुरोध किया गया था कि वे सेवानिवृत्ति लाभों के देयताओं के निधिपोषण हेतु पृथक रूप से अनुदानों को जारी रखें । उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है इसलिए निधियों को जारी करने एवं सेवानिवृत्ति देयताओं पर एम ओ आर डी के पास लंबित निर्णय को लेखा पुस्तिकाओं में दर्शाया नहीं गया है ।
- छ. आकस्मिक देयतायें : मेडागाँस्कर में सी-गार्ड प्रौद्योगिकी केन्द्र को स्थापित करने हेतु विदेश कार्य मंत्रालय की परियोजना के संबंध में संस्थान ने रु. 616000.00 की बैंक एस बी एच गारंटी दी है । इसे सामान्य लेखा तुलन पत्र : अनुसूची ए-6 सामान्य खाते में निवेश के अंतर्गत पृथक रूप से दर्शाया गया है ।
- ज. पूर्वावधि मदें : आय एवं व्यय लेखा के पूर्वावधि मदों में पूर्वावधि आय रु. 61901518 सम्मिलित है ऐसा दिनांक 31.03.2017 को अनुसूची 11 में एक चालू देयताओं के परिवर्तन के कारण किया गया है ।
- झ. जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, खाता कोड संख्या को खाता नाम में प्रि-फिक्स किया गया है ताकि टैली खातों में मदों की शिनाख्त आसानी से की जा सके ।
- ञ. जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, अनुसूचियों / खातों को रीग्रुप / पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि टैली विवरणों में मदों की शिनाख्त आसानी से की जा सके । जहां कहीं आवश्यक हो पूर्व वर्षों के अंकों को तदनुसार पुनः समूहबद्ध किया गया है । आंकड़ों को निकटतम रुपये में मिला दिया गया है ।
- ट. आय एवं व्यय लेखा - अनुसूची 13 : विविध प्राप्तियों में पूर्वावधि से संबंधित प्राप्तियां सम्मिलित है ।

ठ. भूमि का विवरण :

- i) सर्वे संख्या 91 में कवर किए गए ए सी 125.00 गुंटा का विस्तार प्रेमावतीपेट गांव, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद, तेलंगाणा में स्थित है ।
 - ii) सर्वे संख्या 91 में कवर किए गए ए सी 27.26 गुंटा का विस्तार प्रेमावतीपेट गांव, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद, तेलंगाणा में स्थित है ।
 - iii) सर्वे संख्या 316 में कवर किए गए ए सी 8.08 गुंटा का विस्तार बुधवेल गांव, राजेन्द्रनगर, मंडल, हैदराबाद तेलंगाणा में स्थित है ।
 - iv) सर्वे संख्या 273 में कवर किए गए ए सी 3.03 गुंटा का विस्तार बुधवेल गांव, राजेन्द्रनगर, मंडल, हैदराबाद तेलंगाणा में स्थित है वर्तमान में यह भूमि अर्जन अधिकारी के पास अभिग्रहण में है ।
 - v) 5 बिघा का विस्तार जो जवाहरनगर के प्लॉट सं. 19 है उसे डाग सं. 341 एवं 346 खानापारा गांव, गुवाहाटी असम द्वारा कवर किया गया है ।
 - vi) बिघा 1 काता का विस्तार जिसे डाग सं. 346 (1223) खानापारा गांव, गुवाहाटी असम द्वारा कवर किया गया है ।
- ड. थर्ड पार्टियों से प्राप्त योग्य और कार्यक्रम के शेष से संबंधित परिसंपत्ति पुष्टि की शर्त पर होगी ।
- ढ. वर्ष 2016-17 में चिन्हित निधियों के बकाया पर ब्याज की बचत दर को परियोजना बहिखाता में जमा किया गया है । इस वर्ष के दौरान सामान्य लेखा में अर्जित कुल ब्याज में से रु. 3,65,69,771 एस बी लेखा पर ब्याज रु. 1,94,82,868 तथा अल्पावधि और दीर्घावधि निक्षेपों पर ब्याज रु. 17086903) की राशि को नामे करते हुए किया गया है ।



(चंदा पंडित)

वित्तीय सलाहकार



महानिदेशक लेखापरीक्षा(केंद्रीय) का कार्यालय
सैफाबाद, हैदराबाद-500004.

OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL)
SAIFABAD, HYDERABAD - 500 004.

No.DGA(C)/CEA/Unit-1/PA/NIRD/SAR.2017-18/F-128/2018-19/

Date:15.11.2018

सेवामें

सचिव महोदय,
भारत सरकार,
ग्रामीण विकास मंत्रालय, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली -110 001

महोदय,

विषय: राष्ट्रीय संस्थान के ग्रामीण विकास और पंचायती राज, राजेंद्रनगर, हैदराबाद के वर्ष 2017-18 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Separate Audit Report (SAR) on the Accounts of National Institute of Rural Development & Panchayati Raj (NIRD&PR), Hyderabad, for the year 2017-18, Annexure to SAR and one copy of the Annual Accounts of the Institute for the year 2017-18, are forwarded herewith for placing before the Parliament.

The dates of presentation of Separate Audit Report in both the Houses of Parliament may please be intimated.

Receipt of this letter along with the enclosures may kindly be acknowledged.

भवदीय,

Sd/-

महानिदेशकलेखापरीक्षा(केंद्रीय)

Director General of Audit (Central)

Endt. No.DGA(C)/CEA/Unit-1/PA/NIRD/SAR.2017-18/F-128/2018-19/109 Date: 15.11.2018

Copy **Dr. W.R Reddy, IAS, Director General**, National Institute of Rural Development & Panchayati Raj, Rajendranagar, Hyderabad-500 030, along with one copy of Annual Accounts for the year 2017-18 (English version), with a request to furnish Hindi version of the approved Annual Accounts 2017-18 (2 sets), to this Office.

संल:यथोपरि

निदेशक/ केंद्रीयव्ययलेखापरीक्षा
DIRECTOR/ CEA

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीएवंपीआर), हैदराबाद के 31 मार्च, 2018 का संलग्न - तुलन पत्र और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत उक्त दिनांक पर समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा एवं प्राप्ति और भुगतान खाते की लेखापरीक्षा कर ली है। इस लेखापरीक्षा को वर्ष 2017 - 18 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे क्षेत्रीय केन्द्र के लेखों को भी सम्मिलित किया गया है। इन वित्तीय विवरणियों की तैयारी संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों पर लेखापरीक्षा पर आधारित अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नियंत्रण और भारत के महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वर्गीकरण, उत्तम लेखा पद्धतियों के समानरूपता, लेखाकरण मानकों एवं प्रकटीकरण नियमों के संबंध में लेखा पर टिप्पणियां दी गई हैं। उसी प्रकार से विधि, नियमावली एवं विनियमन (हकदारी एवं विनियमनता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेखों पर लेखापरीक्षा टिप्पणी एवं क्षमता सह निष्पादन पहलू यदि कोई सूचित किया गया हो तो जिसे पृथक रूप से सी ए जी लेखा परीक्षा रिपोर्ट / निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा दर्शाया गया हो उसे प्रस्तुत किया गया है।
3. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकार किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा आयोजित की है। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हमने लेखा परीक्षा की योजना और संचालन द्वारा यह उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय विवरणियाँ वस्तुगत त्रुटियों से मुक्त हैं। इस लेखा परीक्षा में राशियाँ तथा वित्तीय विवरणियों के प्रकटनों में देखे गए प्रमाणों के परीक्षण के आधार पर जाँच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखाकरण सिद्धान्तों एवं प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा मेरी राय को उचित आधार प्रदान करते हैं।
4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम प्रतिवेदन करते हैं कि :
 - i हमने लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ सही सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर ली हैं जो हमारी उत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक है ;
 - ii इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा को सही रूप से तैयार किया गया है और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फार्मेट के अनुरूप हैं।
 - iii हमारी राय में, संस्थान के उप नियम 31 के अंतर्गत रख-रखाव किए गए लेखा पुस्तिकाओं एवं अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव किया गया है जो हमारी परीक्षण पुस्तिका के अनुसार पाए गए हैं।
 - iv हम आगे रिपोर्ट करते हैं

लेखों का संशोधन

वर्ष 2016-17 के दौरान संस्थान ने लेखा परीक्षा टिप्पणियों के आधार पर लेखों का संशोधन किया जिसके परिणाम स्वरूप देयतायें और परिसंपत्तियां 23.44 लाख तक घट गया एवं अधिशेष 0.09 लाख बढ़ गया।

क. समेकित तुलन-पत्र

क. 1. पूंजी और देयतायें

क.1.1.1 चालू देयतायें एवं प्रावधान : रु. 52.71 करोड़

क.1.1.01 इसमें रु. 27.73 करोड़ की अंतः शेष राशि है जो चिन्हित विशिष्ट परियोजना (एस जी एस वाई / डी डी यू - जी के वाई) के लिए निर्धारित मूल अनुदान में से प्रतिशत के रूप में एम ओ आर डी से संस्थान को

अनुश्रवण शुल्क के रूप में संस्थान को प्राप्त हुई है एवं इसे मंजूरीकृत विशिष्ट परियोजनाओं के अनुश्रवण से संबंधित विशिष्ट क्रियाकलापों/उद्देश्यों पर व्यय किया जाएगा। इसे गलती से चिन्हित निधियों के बजाय चालू देयताओं में वर्गीकृत किया गया है यद्यपि यह लेखा का समानांतर फार्मेट (पृष्ठ 26) के लिए अनिवार्य है। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं को बढ़ाकर एवं चिन्हित निधियों को रु. 27.73 करोड़ घटाकर दर्शाया गया है।

ख. सामान्य

1. सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधान को लेखा मानक-15 के अनुसार अनिवार्य बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार नहीं किया गया है।

ग. अनुदान सहायता: कुल लेखानुदान राशि में से वर्ष के दौरान रु. 50.00 करोड़ की राशि प्राप्त हुई (योजना वेतन रु. 40.00 करोड़, योजना सामान्य : रु. 10.00 करोड़) तथा रु. 30.90 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियों के साथ पिछले वर्ष से संबंधित रु. 136.46 करोड़ की अव्यय शेष अर्थात् कुल रु. 217.36 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। संस्थान ने कुल रु. 66.32 करोड़¹ की राशि का उपयोग किया और 31 मार्च, 2018 तक रु. 135.78 करोड़ की राशि अव्यय रही।

घ. लेखा पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव

कार्यवाही पैराग्राफ में दर्शाए गए लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव शून्य है।

ड. प्रबंधन पत्र - वे कमियां जिन्हें पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया उन्हें सुधार/सही करने हेतु पृथक प्रबंधन पत्र को जारी करते हुए उन्हें महानिदेशक महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एन आई आर डी एवं पी आर), हैदराबाद के सूचना में लाया गया है।

व. पूर्व पैराग्राफ में हमारे परीक्षणों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा जो इस रिपोर्ट से संबंधित हैं वे लेखा पुस्तकों के समनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में तथा उत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय जानकारियों को लेखाकरण नीतियों एवं लेखा टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए एवं इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट में उद्धृत अन्य मामलों एवं उपरोक्त दर्शायी गई महत्वपूर्ण जानकारियों, लेखाकरण सिद्धान्तों लेखा टिप्पणियों जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत हैं कि समरूप सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

क. जहां तक तुलन - पत्र का संबंध है वह 31 मार्च, 2018 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एन आई आर डी एवं पी आर), हैदराबाद के मामलों से संबंधित हैं।

ख. उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए **अधिशेष** के आप एवं व्यय लेखा से संबंधित है।


¹सामान्य एवं वेतन : रु. 64.13 करोड़ एवं पूंजी : रु. 2.19 कुल : रु. 66.32



महानिदेशक लेखा परीक्षा (सेन्ट्रल)

परिशिष्ट

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति की समुचितता :** संस्थान में वर्ष 2011-12 से आंतरिक लेखा परीक्षा बकाया में है चूंकि आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति प्रचलन में नहीं है। यद्यपि पूर्व लेखापरीक्षा में दर्शाया गया है। फिर भी वर्ष 2017-18 के लिए संस्थान की लेखा परीक्षा को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा आयोजित किया गया है।
2. **आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की समुचितता :** आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त है जिसका कारण -
 - क. ग्रामीण विकास मंत्रालय/मंजूरीकृत परियोजनाओं से संबंधित निधिपोषण एजेन्सी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना संचित निधि का अंतरण करते हुए संस्थान की आंतरिक प्राप्तियों के रूप में समाप्त और निष्क्रिय परियोजना निधि के अव्ययीकृत बकायों का लेखा करण।
 - ख. लेखा समाधान किए बिना पुराने और माईनस अंतशेष बकायों को आगे लाया गया जैसे कि प्रबंधन पत्र में दर्शाया गया है; एवं
 - ग. आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति प्रचलन में नहीं है।
3. **सावधि परिसंपत्तियों की भौतिक जांच की पद्धति :** वर्ष 2017-18 के दौरान सावधि परिसंपत्तियों की भौतिक जांच आयोजन नहीं किया गया।
4. **सूचियों की भौतिक जांच की पद्धति :** वर्ष 2017-18 के दौरान सूचियों की भौतिक जांच को पूर्ण किया गया।
5. **सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता:** संस्थान सांविधिक देयताओं को भुगतान नियमित करता है।


 निदेशक/केंद्रीय व्यय लेखा परीक्षा

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के उत्तर

लेखा परीक्षा पैरा का सार	संस्थान का उत्तर
हमने, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआर डीएवपी आर), हैदराबाद के 31 मार्च, 2018 का संलग्न - तुलन पत्र और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत उक्त दिनांक पर समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा एवं प्राप्ति और भुगतान खाते की लेखापरीक्षा कर ली है। इस लेखा परीक्षा को वर्ष 2017 - 18 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे क्षेत्रीय केन्द्र के लेखों को भी सम्मिलित किया गया है। इन वित्तीय विवरणियों की तैयारी संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षा पर आधारित अपनी राय व्यक्त करना है।	कोई टिप्पणी नहीं
2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में नियंत्रण और भारत के महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वर्गीकरण, उत्तम लेखा पद्धतियों के समानुरुपता, लेखाकरण मानकों एवं प्रकटीकरण नियमों के संबंध में लेखा पर टिप्पणियां दी गई हैं। उसी प्रकार से विधि, नियमावली एवं विनियमन (हकदारी एवं विनियमनता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेखों पर लेखापरीक्षा टिप्पणी एवं क्षमता सह निष्पादन पहलू यदि कोई सूचित किया गया हो तो जिसे पृथक रूप से सी ए जी लेखा परीक्षा रिपोर्ट / निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा दर्शाया गया हो उसे प्रस्तुत किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
3. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकार किये गये लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा आयोजित की है। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हमने लेखा परीक्षा की योजना और संचालन द्वारा यह उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय विवरणियाँ वस्तुगत त्रुटियों से मुक्त हैं। इस लेखा परीक्षा में राशियाँ तथा वित्तीय विवरणियों के प्रकटनों में देखे गए प्रमाणों के परीक्षण के आधार पर जाँच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखाकरण सिद्धान्तों एवं प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ - साथ वित्तीय विवरणियों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना सम्मिलित हैं। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा मेरी राय को उचित आधार प्रदान करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम प्रतिवेदन करते हैं कि :	
i हमने लेखापरीक्षा की प्रयोजनार्थ सही सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो मेरी उत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
ii इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा को सही रूप से तैयार किया गया है और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फार्मेट के अनुरूप हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
iii हमारी राय में, संस्थान के उप नियम 31 के अंतर्गत रख-रखाव किए गए लेखा पुस्तिकाओं एवं अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव किया गया है जो हमारी परीक्षण पुस्तिका के अनुसार पाए गए हैं।	कोई टिप्पणी नहीं

<p>iv हम आगे रिपोर्ट करते हैं :</p> <p>क. समेकित तुलन पत्र</p> <p>क. 1. पूंजी और देयतायें</p> <p>क.1.1.1 चालू देयतायें एवं प्रावधान : रु. 52.71 करोड़</p> <p>क.1.1.01 इसमें रु. 27.73 करोड़ की अंतः शेष राशि हैं जो चिन्हित विशिष्ट परियोजना (एस जी एस वाई / डी डी यू - जी के वाई) के लिए निर्धारित मूल अनुदान में से प्रतिशत के रूप में एम ओ आर डी से संस्थान को अनुश्रवण शुल्क के रूप में संस्थान को प्राप्त हुई है एवं इसे मंजूरीकृत विशिष्ट परियोजनाओं के अनुश्रवण से संबंधित विशिष्ट क्रियाकलापों/उद्देश्यों पर व्यय किया जाएगा। इसे गलती से चिन्हित निधियों के बजाय चालू देयताओं में वर्गीकृत किया गया है यद्यपि यह लेखा का समानांतर फार्मेट (पृष्ठ 26) के लिए अनिवार्य है। इसके परिणाम स्वरूप चालू देयताओं को बढ़ाकर एवं चिन्हित निधियों को रु. 27.73 करोड़ घटाकर दर्शाया गया है।</p>	<p>यह टिप्पणी लेखा के दो शीर्ष के बीच वर्गीकरण से संबंधित है “चिन्हित निधियों” और “चालू देयतायें”। दोनों ही देयतायें हैं। इसलिए तुलन पत्र में कुल देयताओं पर कोई प्रभावी पडा है।</p> <p>एनआईआरडीपीआर का डीडीयू-जीकेवाई परियोजना सेल देशभर में विभिन्न डीडीयू-जीकेवाई के अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार है तथा मंत्रालय, क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान द्वारा मंजूर किए गए परियोजनाओं को संचालित करने वाली परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का मूल्यांकन और अनुश्रवण का आयोजन करता है। डीडीयू-जीकेवाई परियोजना के लिए मंत्रालय द्वारा जारी राशि में निम्न लिखित है।</p> <p>(1) मंत्रालय द्वारा एनआईआरडीपीआर को जारी राशि को आगे पीआईए को जारी करेगा जिसे चिन्हित निधियों/टट के शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा और मूलतः यह विशिष्ट निधियां होती है जिसे डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं/ कार्यक्रम / विशिष्ट क्रियाकलापों वार्षिक लेखा की अनुसूची एल-3 के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय से प्राप्त किया गया है।</p> <p>(2) जारी की गई अनुदान की प्रतिशतता के रूप में अनुश्रवण शुल्क प्राप्त किया गया अनुश्रवण प्रभागों को डीडीयू - जीकेवाई सेल की सेवा एवं इस परियोजना पर व्यय संबंधी पूर्ति हेतु उपयोग किया जाएगा। अनुश्रवण प्रभागों को चालू देयताओं के रूप में उपयोग में लाये जाने की पद्धति को संस्थान द्वारा एनआईआरडीपीआर में डीडीयू - जीकेवाई क्रियाकलापों के प्रारंभ से ही अपनाया जा रहा है।</p> <p>आगे, संस्थान के आय व्यय लेखा या परिसंपत्तियों/देयताओं के कुल मूल्य पर उपरोक्त वर्गीकरण से कोई प्रभाव नहीं पडा है।</p>
<p>ख. सामान्य</p> <p>1. सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधान को लेखा मानक-15 के अनुसार अनिवार्य बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार नहीं किया गया है।</p>	<p>सेवानिवृत्ति लाभों जैसे - ग्रेच्युटी, पेन्शन एवं लीव इनकैंशमेंट के लिए अपेक्षित प्रावधान का बीमांकक मूल्यांकन का आयोजन वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रमाणित बीमांकक द्वारा आयोजित किया गया। 31 मार्च, 2018 को आकलित देयता रु. 110.98 करोड़, (ग्रेच्युटी रु. 14.36 करोड़, पेन्शन रु. 70.00 करोड़ एवं लीव इनकैंशमेंट रु. 15.66 करोड़) था। संस्थान के सभी क्रियाकलापों के लिए निधिपोषण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया कि सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयताओं के निधिपोषण के लिए पृथक रूप से अनुदानों को जारी करें। इस मामले को कार्यकारी परिषद एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। अतः निधियों को जारी करने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के लंबित निर्णय के चलते लेखा पुस्तिकाओं में सेवा निवृत्ति लाभों पर देयताओं को नहीं लिया गया। दर्शाया नहीं गया है।</p>

	उपर्युक्त के बावजूद लेखा पर टिप्पणियां - एस.सं. 13 (एफ) में विस्तृत प्रकटीकरण किया गया है जो लेखा के सम्मान फार्मेट के लिए अपेक्षित है तथा यह लेखाकरण मानको के गैर अनुपाल में तथा मानक के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव से लेखों का उचित प्रकटीकरण किया गया है को दर्शाता है ।
<p>ग. अनुदान सहायता : कुल लेखानुदान राशि में से वर्ष के दौरान रु. 50.00 करोड़ की राशि प्राप्त हुई (योजना वेतन रु. 40.00 करोड़, योजना सामान्य : रु. 10.00 करोड़) तथा 30.90 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियां के साथ पिछले वर्ष से संबंधित रु. 136.46 करोड़ की अव्यय शेष अर्थात् कुल 217.36 करोड़ की राशि प्राप्त हुई । संस्थान ने कुल रु. 66.32 करोड़ की राशि का उपयोग किया और 31 मार्च, 2018 तक 135.78 करोड़ की राशि अव्यय रही ।</p>	तथ्यपरक स्थिति निम्न रूप में इस प्रकार है: अनुदान सहायता का आदिशेष शून्य है । वर्ष 2016-17 के लिए आंतरिक प्राप्तियां को संचित निधि को अंतरित किया गया । वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान राशि इस प्रकार है : वेतन : रु. 40.00 करोड़ सामान्य : रु. 10.00 करोड़ आंतरिक प्राप्तियां : रु. 30.90 करोड़ कुल : रु. 80.90 करोड़ व्यय : वेतन : रु. 40.33 करोड़ सामान्य : रु. 30.55 करोड़ कुल : रु. 70.88 करोड़ निवल आय : रु. 10.02 करोड़ योजना अनुदान का आदिशेष : रु. 60.37 ब्याज आय : रु. 2.38 करोड़ व्यय : रु. 1.73 करोड़ योजना अनुदान का शेष : रु. 61.02 करोड़
<p>घ. लेखा पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव कार्यवाही पैराग्राफ में दर्शाए गए लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव शून्य है ।</p>	कोई टिप्पणी नहीं
<p>ड. प्रबंधन पत्र वे कमियां जिन्हें पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया उन्हें सुधार/सही करने हेतु पृथक प्रबंधन पत्र को जारी करते हुए उन्हें महानिदेशक महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एन आई आर डी एवं पी आर), हैदराबाद के सूचना में लाया गया है ।</p>	कोई टिप्पणी नहीं
<p>V. पूर्व पैराग्राफ में हमारे परीक्षणों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा जो इस रिपोर्ट से संबंधित हैं वे लेखा पुस्तकों के समरूप हैं ।</p>	कोई टिप्पणी नहीं
<p>Vi. हमारी राय में तथा उत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय जानकारियों को लेखाकरण नीतियों एवं लेखा टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए एवं इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट में उद्धृत अन्य मामलों एवं उपरोक्त दर्शायी गई महत्वपूर्ण जानकारियों, लेखाकरण सिद्धान्तों लेखा टिप्पणियों जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत हैं कि समरूप सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है । क. जहां तक तुलन - पत्र का संबंध है वह 31 मार्च, 2018 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एन आई आर डी एवं पी आर), हैदराबाद के मामलों से संबंधित हैं । ख. उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है ।</p>	कोई टिप्पणी नहीं

परिशिष्ट

लेखा परीक्षा पैरा का सार	संस्थान का उत्तर
<p>1. आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति की समुचितता : संस्थान में वर्ष 2011-12 से आंतरिक लेखा परीक्षा बकाया में है चूंकि आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति प्रचलन में नहीं है । यद्यपि पूर्व लेखापरीक्षा में दर्शाया गया है । फिर भी वर्ष 2017-18 के लिए संस्थान की लेखापरीक्षा को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा आयोजित किया गया जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।</p>	<p>संस्थान के खातों पर आंतरिक लेखापरीक्षा बकाया में नहीं है, क्योंकि इसे 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि को कवर करने वाले 2012 में मुख्य लेखा नियंत्रक / ग्रामीण विकास मंत्रालय की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा आयोजित की गई थी । इसके अलावा 2013-14 से 2015-16 तक की अवधि के लिए अक्टूबर, 2016 में उसी कार्यालय द्वारा फिर से आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी । इसके अलावा वर्ष 2017-18 के लिए संस्थान के आंतरिक लेखापरीक्षा को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा आयोजित किया गया एवं वर्ष 2017-18 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट सीएजी लेखापरीक्षा पार्टी को पहले ही प्रस्तुत किया गया है ।</p>
<p>2. आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की समुचितता : आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त है जिसका कारण -</p> <p>क. ग्रामीण विकास मंत्रालय/मंजूरीकृत परियोजनाओं से संबंधित निधिपोषण एजेन्सी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना संचित निधि का अंतरण करते हुए संस्थान की आंतरिक प्राप्तियों के रूप में समाप्त और निष्क्रिय परियोजना निधि के अव्ययीकृत बकायों का लेखा करण ।</p> <p>ख. लेखा समाधान किए बिना पुराने और मार्टिनस अंतशेष बकायों को आगे लाया गया जैसे कि प्रबंधन पत्र में दर्शाया गया है ; एवं</p> <p>ग. आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति प्रचलन में नहीं है ।</p>	<p>(क) टिप्पणी सही नहीं है क्योंकि परियोजनाएँ वर्ष 2017-18 के दौरान समाप्त नहीं हुई हैं और 31-03-2018 को उसका पुनरीक्षण किया जा रहा है ।</p> <p>(ख) विशिष्ट उद्देश्य / परियोजना के लिए प्रायोजक द्वारा संस्थान के लिए प्रायोजित परियोजनाएँ भुगतान परक कार्य है । परियोजना की सफल समाप्ति के बाद संस्थान ऐसी परियोजनाओं से बचत को बनाए रखने का हकदार है । कुछ मामलों में प्रायोगिक क्षेत्र स्थितियों के चलते परियोजनाएँ घाटे में चल सकती हैं क्योंकि मंजूर किया गया बजट अपर्याप्त हो सकता है एवं ऐसे घाटे की पूर्ति संस्थान द्वारा की जाए । प्रायोजित परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र है । सभी प्रायोजित परियोजनाओं की प्रगति एवं शेष तथा कार्यक्रम निधियों का अनुश्रवण मासिक आधार पर महानिदेशक द्वारा किया जा रहा है । प्रत्येक प्रायोजित परियोजनाओं के लिए पृथक बहीखातों का रखरखाव किया जा रहा है ताकि बजटरी नियंत्रण और सही लेखाकरण को सुनिश्चित किया जा सके ।</p> <p>(ग) संस्थान के आंतरिक लेखापरीक्षा को वर्ष 2017-18 के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा आयोजित किया गया तथा वर्ष 2017-18 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट को क्षेत्र लेखापरीक्षा के दौरान पहले ही सी ए जी लेखापरीक्षा पार्टी को प्रस्तुत की गई है ।</p>
<p>3. सावधि परिसंपत्तियों की भौतिक जांच की पद्धति : वर्ष 2017-18 के दौरान सावधि परिसंपत्तियों की भौतिक जांच को पूर्ण किया गया ।</p>	<p>समुचित आवश्यक कार्रवाई की गई है तथा अगली लेखापरीक्षा में प्रस्तुत की जाएगी ।</p>
<p>4. सूचियों की भौतिक जांच की पद्धति : वर्ष 2017-18 के दौरान सूचियों की भौतिक जांच को पूर्ण किया गया ।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं</p>
<p>5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता: संस्थान सांविधिक देयताओं का भुगतान नियमित करता है ।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं</p>

1सामान्य एवं वेतन : रु. 64.13 करोड एवं पूंजी : रु. 2.19 कुल : रु. 66.32

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है । यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।”

